सितम्बर ' ३३। [illegible]

मौत का दूत मद्यपान

देश के अनेक भागों में एक वर्ष की अवधि में जहरीली शराब पीने से मरे व्यक्तियों की संख्या लगभग 5 सौ बताई जाती है। गत वर्ष हमारी नाक के नीचे राजधानी में ही इस अभिशाप से 30 व्यक्ति मौत का शिकार हुए और अब बंगलौर की घटना ने पिछले सारे रिकार्ड ही तोड़ दिए जिसमें जहरीली शराब पीने से लगभग तीन सौ से अधिक व्यक्ति काल के कराल गाल में चले गए। नरवाणा की दुर्घटना में जहां 80 व्यक्तियों का हनन हुआ, वहां महाराष्ट्र में भी एक ही वर्ष की अवधि में इस विषपान से लगभग 60 व्यक्ति चिरनिद्रा में सो गए।

इसमें दो राय नहीं कि हमारे देश के अनेक भागों में अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री का धंधा बड़े जोरों से चल रहा है और धन कमाने की लालसा से धंधेबाज उसमें जहरीली वस्तुओं की मिलावट करने से भी नहीं चूकते जिसका परिणाम हमारे सामने है। मौत के इन सौदागरों का जाल सारे देश में फैला हुआ है और इस जाल को तोड़ने की सख्त जरूरत है।

दूसरे शराब की लाइसेंस शुदा दुकानों से भी जहरीली शराब की बिक्री की शिकायतें सामने आई हैं। बताया जाता है कि नरवाणा की दुर्घटना में जो व्यक्ति शराब पीकर मौत का शिकार हुए, उन्होंने लाइसेंसशुदा दुकान से ही शराब खरीदी थी। न सिर्फ ऐसी दुकानों के लाइसेंस ही रद्द किए जाने चाहिए बल्कि इनके मालिकों की अच्छी तरह से खबर ली जानी चाहिए। परन्तु होता कुछ और ही है। ये अपने पैसे के बल पर कानून के शिकंजे से साफ निकल जाते हैं और उनका धंधा भी लगातार चलता रहता है।

इसमें शक नहीं कि हमें शराब के उत्पादन शुल्क से बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होती है और हम उसे अपने विकास की गति को तेज करने के काम में लगा सकते हैं। परन्तु हमें यह देखना होगा कि इस धन के लालच में कहीं हम बहुत बड़ी हानि तो नहीं उठा रहे। राष्ट्र का सबसे बड़ा धन राष्ट्र का चरित्र होता है। यदि किसी राष्ट्र का चरित्र उज्ज्वल और मनोबल ऊंचा है तो वह बड़ा धनी राष्ट्र है और उसे संसार की कोई शक्ति पराभूत नहीं कर सकती। यह निर्विवाद है कि शराब के सेवन से व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का ही चरित्र और मनोबल गिरता है। फिर शराब के उत्पादन को प्रोत्साहन क्यों? एक तरफ तो शराब के उत्पादन को प्रोत्साहन और दूसरी ओर मद्यनिषेध की वकालत—हमें यह नीति त्यागनी होगी।

हमारे धर्म शास्त्रों में अर्थ-शौच अर्थात् धन की पवित्रता को सबसे बड़ी पवित्रता माना है। (सर्वपामेव शौचानामर्थशौचं परमम् स्मृतम्)। पवित्र धन के प्रयोग से पवित्रता का साम्राज्य फैलता है और अपवित्र धन के प्रयोग से अपवित्रता पनपती है। गांधी जी भी यही मानते थे कि पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन की जरूरत होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास की दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़े हैं परन्तु अर्थ की पवित्रता को हमने नहीं पहचाना और नैतिक दृष्टि से हम अधः पतन के गर्त में जा गिरे हैं। अतः हमें ऐसे धन की लालसा को त्यागना होगा जिससे हमारा अधःपतन होता है।

गांधी जी कहा करते थे कि शराब मन, आत्मा तथा शरीर का नाश करती है और वे पूर्ण मद्यनिषेध के हामी थे परन्तु गांधी जी के इस मूल-मन्त्र को हम भूल गए। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले हमारे अधिकांश गांवों में शराब का कोई नाम तक न जानता था परन्तु अब वहां शराब की नालियां बह रही हैं।

जब हम यह मान कर चलते हैं कि शराब के सेवन से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का चरित्र गिरता है तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि इस विनाशकारी जहर के परिणामों से लोगों को सजग करें। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले देश की समाज सुधारक संस्थाएं इस दिशा में सक्रिय थीं परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे भी ढीली पड़ गईं और अब सामाजिक सुधार के कार्यों का दायित्व भी सरकार पर आ पड़ा है। यदि हमें राष्ट्र को मद्यमान के दुष्परिणामों से बचाना है तो जरूरी है कि इसकी बुराइयों से लोगों को अवगत करने के लिए प्रचार माध्यमों द्वारा जोरदार अभियान शुरु किया जाए। साथ ही उन समाज सुधार संस्थाओं को भी सक्रिय किया जाए जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले समाज सुधार के कार्यों में जोर शोर से भाग लेती थीं।

शिक्षा संस्थाएं भी इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। शिक्षा प्रणाली में ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं जिनसे छात्रों को सच्ची शिक्षा प्राप्त हो और वे मद्यपान आदि सभी नशीली वस्तुओं के प्रयोग से परहेज करने लगें। आज हमारे छात्रों में जो अनुशासनहीनता छाई हुई है, उसका एक कारण उनमें मद्यपान आदि नशीली वस्तुओं की आदत भी है। यह कहना असंगत न होगा कि मद्यनिषेध को पाठ्यक्रम का विषय बनाया जाए और छात्रों में ऐसी भावनाएं भरी जाएं जिनसे वे भावी भारत के अच्छे नागरिक बन सकें और विकास की धुरी को आगे बढ़ाने में सफल संचालक बन सकें। □

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

एक प्रति 1 रु० : वार्षिक चंदा 10 रु०

●

दूरभाष : 382406

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह

उपसम्पादक : राधे लाल

आवरण पृष्ठ : जीवन अडालजा

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण पुनर्निर्माण का प्रमुख मासिक

वर्ष 26 भाद्रपद–आश्विन 1903 अंक 11

इस अंक में : **पृष्ठ संख्या**

ग्रामोन्नति का आधार : अधिक रोजगार श्री बालेश्वर राम	2
एक पेड़ लगाइए : दस पेड़ बचाइए सुन्दर लाल बहुगुणा	5
उम्मीदों का गुलशन खिला के रहेंगे (कविता) हेमन्त गोस्वामी	6
उज्जैन में वृक्षारोपण का सघन अभियान डी० राम	7
भारत में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज योजना : प्रगति तथा उपलब्धियां श्री किरानी प्रसाद सिंह	8
कृषि यंत्रीकरण-नियंत्रित रफ्तार से और आंशिक रूप में ही क्यों ? राधा मोहन श्रीवास्तव	11
अधिक दूध के लिए संकर प्रजनन डा० देवनारायण पाण्डेय	14
ग्रामीण युवकों के रोजगार की समस्या का समाधान ट्राइसेम केवल कृष्ण चोपड़ा	15
कृषि विज्ञान केन्द्र : व्यावहारिक प्रशिक्षण में एक नया प्रयास डा० एन० पी० सिंह	18
उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्या : भूमि सुधार बनाम भूलेख सुधार अश्वनी कुमार पांचाल	21
बंकिमचन्द्र का आनन्दमठ जिसने स्वाधीनता की ज्योति जलाई डा० इन्द्रनाथ चौधरी	23
अवैध शराब बनाने के धंधे को रोका जाए राधे लाल	24
बेरोजगारी का समाधान सुरेन्द्र सिंह चौहान	25
आए बादल (कविता) श्याम बेबस	26
पाप की आय (रूपक) मोहन सिंह	27
सीधी में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार मोती लाल सिंह	आवरण पृष्ठ 3

स्थायी स्तम्भ

साहित्य समीक्षा : केन्द्र के समाचार : इत्यादि।

ग्रामोन्नति का आधार: अधिक रोजगार

श्री बालेश्वर राम

कृषि व ग्रामीण पुनर्निर्माण राज्य मंत्री

रोजगार की समस्या समस्त राष्ट्र के लिए एक ज्वलंत प्रश्न है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में। निर्धनता एवं बेरोजगारी का एक कारण यह भी है कि कई गरीब किसान और खेतिहर मजदूर ऐसे समय में जब कृषि का काम नहीं होता, बेकार रहते हैं। पढ़े-लिखे युवकों की बेकारी की समस्या अपने आप में और भी गंभीर है। जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। गांवों के नवयुवक अपने धन्धे में न लग कर शहरों की ओर भागते हैं और शहरों में आकर दर-दर की ठोकरें खाते हैं। उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम भी नहीं मिल पाता है। यदि उन्हें गांवों में ही छोटे-छोटे धन्धों, जैसे ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों आदि में लगाया जाए तो इस समस्या का समाधान करने में बड़ी मदद मिल सकती है। साथ ही, शहरों पर जो जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, वह भी कम होगा। अतः यह जरूरी हो गया है कि ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपाय तेजी से किए जाएं।

1980 के प्रारंभ में केन्द्र में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में नई सरकार के पदारूढ़ होने के तुरन्त बाद से ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाने लगा है। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय ने पिछले महीने जुलाई में गांवों में पूर्ण रोजगार की कार्यनीति के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें लगभग सभी प्रदेशों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के मंत्रीगण एवं अधिकारीगण शामिल हुए। दो दिन के उपयोगी विचार-विमर्श के बाद कई सुझाव सामने आए हैं जिनको ध्यान में रखकर रोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं :—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने के उपायों में सबसे अधिक सफल एवं लोकप्रिय हुआ है। इसे पहले "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम कहा जाता था। यह कार्यक्रम "एक पंथ दो काज" की कहावत को सही रूप में चरितार्थ करता है। इससे गांवों के लोगों को न केवल फालतू समय में और अपने घरों के पास ही रोजगार उपलब्ध होने लगा है बल्कि इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का भी निर्माण हुआ है जिनसे ग्रामवासियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। इसमें अनेक सड़कें, पंचायत घर, स्कूल की इमारतें, सिंचाई की सुविधाएं, बाढ़ की रोकथाम के उपाय आदि संभव हो सके हैं। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप 1980-81 में अब तक मिली सूचना के अनुसार 2133.77 लाख श्रम-दिवसों का रोजगार सुलभ हो सका। अनुमान है कि 1981-82 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ श्रम-दिवसों का रोजगार उपलब्ध होने लगेगा।

जहां तक आधारभूत सुविधाओं की बात है, इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के बाद से 79,414 स्कूल-भवनों, 3016 पंचायत-घरों तथा सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण हो चुका है तथा 2 लाख 71 हजार 567 किलोमीटर लम्बाई की नई सड़कें बनाई जा चुकी हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम हुआ है उससे 9 लाख 49 हजार 518 हेक्टेयर में भूसंरक्षण के उपाय अपनाए गए, 4 लाख 21 हजार 025 हेक्टेयर जमीन को बाढ़ के खतरे से बचाया गया तथा 4 लाख 40 हजार 764 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया गया है। 31 मार्च, 1981 तक इस कार्यक्रम पर होने वाला पूरा खर्चा केन्द्र सरकार द्वारा उठाया जाता था। पहली अप्रैल 1981 से यह कार्यक्रम छठी योजना का अंग बन गया है और अब केन्द्र तथा राज्य सरकारें आधा-आधा खर्चा वहन करेंगी। छठी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 1620 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

गांवों के उत्थान के लिए एक अन्य उपयोगी कार्यक्रम है : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 1978-79 में इस कार्यक्रम को देश के 2300 विकास खण्डों में लागू किया गया। 1980 में गांधी-जयन्ती के अवसर पर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और युगान्तरकारी कदम उठाकर देश के सभी विकास खण्डों में इस कार्यक्रम को लागू कर दिया गया। देश भर में 5011 खण्डों में यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हर साल प्रत्येक विकास खण्ड के 600 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में हिसाब लगाया

[illegible] है कि देश में 25 करोड़ 91 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे की जिन्दगी बिताने पर मजबूर हैं। इस कार्यक्रम के अनुसार 5 साल में हर विकास खण्ड के 3000 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाएगा और इस प्रकार समस्त देश में डेढ़ करोड़ परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सहायता मिल सकेगी। प्रत्येक विकास खण्ड में जिन 600 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रस्ताव है उनमें से लगभग 400 परिवारों को कृषि तथा उससे संबंधित गतिविधियों के काम में लगाया जाएगा। ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से 100 परिवारों को रोजगार मिलेगा और अन्य 100 परिवारों को छोटा-मोटा व्यापार उद्यम या ग्रामीण सेवाओं में खपाया जाएगा।

ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत तालाब की खुदाई

राष्ट्रीयकृत बैंकों से यह कहा गया है कि वे इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों को अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था करें और इस दिशा में कदम भी उठाए जा चुके हैं। साथ ही एक "मानिटरिंग-सैल" भी स्थापित किया जा रहा है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग आदि के सभी संबंधित अधिकारी रहेंगे और वे समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दिलाने के कार्य की देखरेख करेंगे तथा आवश्यक सुझाव देंगे।

स्वरोजगार प्रशिक्षण

गांवों में रोजगार संबंधी दक्षता उपलब्ध करने की योजना भी इसी मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई है। ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देने वाली इस योजना को "ट्राइसेम" कहते हैं। इसकी दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को मनाई गई है। यह योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण युवक ऐसी दक्षता और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित हो सकें ताकि वे अपना खुद का काम-धंधा शुरू करने के लायक बन सकें। हर साल ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 2 लाख युवकों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसके लिए वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। विचार यह है कि हर जिले के लिए कम से कम एक प्रशिक्षण केन्द्र सुलभ कराएं, साथ ही यह भी व्यवस्था की जा रही है कि हर राज्य में कम से कम एक प्रशिक्षण संस्था ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए हो। प्रशिक्षण के दौरान युवकों को 100 रुपये प्रति मास वजीफा दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। मार्च, 1981 तक मिली सूचनाओं के अनुसार 1,21,625 से अधिक युवकों को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें से 35,881 युवक स्वरोजगार चलाने में सफल हो गए हैं। 79,850 युवक इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे शिक्षित युवकों के लिए जो गरीब परिवारों के नहीं हैं, रोजगार की समस्या भी विचारणीय है। इन सभी को सवेतन रोजगार में खपाना असंभव-सा लगता है। इस संबंध में व्यावहारिक रास्ता यह है कि इन्हें पहले दक्षता और प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाए और फिर अपना उद्योग, कारोबार, आदि चलाने के लिए वित्तीय और अन्य सहायता दिलाई जाए। इस प्रकार के युवकों को चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलिटैक्नीक, कृषि विज्ञान केन्द्र और खादी व ग्रामोद्योग आयोग, हस्तशिल्प बोर्ड, केन्द्रीय शिल्प बोर्ड आदि की प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है।

खादी व ग्रामोद्योग की भूमिका

गांवों में रोजगार उपलब्ध करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। छठी योजना में 480 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है। योजनावधि के अन्त तक खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में कुल उत्पादन 440 करोड़ रु. वार्षिक के वर्तमान स्तर से बढ़कर 1200 करोड़ रु. हो जाएगा। इसी प्रकार रोजगार भी बढ़ेगा। आजकल इनसे 27.33 लाख कारीगरों को काम मिला हुआ है, यह संख्या बढ़कर लगभग 50 लाख हो जाएगी।

विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सुलभ करने में योग दे रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन संकर किस्म के पशुओं को बढ़ाया जाएगा और मुर्गीपालन, सूअर-पालन तथा भेड़पालन जैसे सहायक काम-धंधे सुलभ किए जाएंगे। इनसे सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को खासतौर से मदद मिलेगी। इस समय 21 राज्यों और 4 केन्द्रशासित क्षेत्रों में संकर किस्म की गायें पालने की 99 परियोजनाएं, मुर्गीपालन की 68, भेड़ पालने की 51 और सूअर पालने की 50 योजनाएं चल रही हैं। आरम्भ से 31 मार्च, 1981 तक इन कार्यक्रमों के अधीन 3 लाख 4 हजार 397 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण भी अधिक रोजगार उपलब्ध करने में सहायक हो

रहा है। छठी योजना में यह प्रावधान है कि 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 और 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1980 के अन्त तक सड़कों से जोड़ दिया जाएगा और इस लक्ष्य का 50 प्रतिशत काम 1985 तक पूरा किया जाएगा। उम्मीद है कि इसके फलस्वरूप 84 लाख प्रत्यक्ष श्रम वर्षों का रोजगार सुलभ होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की जो योजना 1979-80 के मध्य से शुरू की गई थी इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर कृषि उपज के लिए भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करना तथा विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को उनकी उपज का भंडारण वैज्ञानिक ढंग से करने के योग्य बनाना है। छठी योजना काल में 19.53 लाख मी. टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध की जाएगी। अनुमान है कि इससे नियमित रोजगार के 4000 श्रम-वर्षों के सृजन के अलावा 1980–85 के दौरान निर्माण कार्यों से उत्पन्न रोजगार के 82.42 लाख श्रमदिनों का रोजगार भी सुलभ होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आमदनी के बढ़ने के साथ ही माल और सेवाओं की वृद्धि भी स्वाभाविक है। फिलहाल जिनके पास धन लगाने की क्षमता है वही इन अवसरों का फायदा उठा रहे हैं। गरीबों को भी इसमें उचित हिस्सा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकारों को इस प्रकार के तृतीय क्षेत्र का विकास करने में पहल करने हेतु निर्देश दिया जा रहा है। दरअसल प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड में गैर-कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत लाए जाने वाले 200 परिवारों में से 100 परिवारों को इसी क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर सामाजिक, वानिकी व वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जिसके लिए यह मंत्रालय कदम उठा रहा है।

हमारे देश की लोकप्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास के लिए इन कार्यक्रमों के अलावा, ग्रामीण विकास के कई और कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछले एक वर्ष में इन कार्यक्रमों में काफी प्रगति भी हुई है। प्रधानमंत्री स्वयं भी राज्यों का दौरा कर ग्रामीणविकास कार्यक्रमों का जायजा ले रही हैं और राज्यों को उचित निर्देश भी देती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के इन कार्यक्रमों के माध्यम से एवं जन सहयोग से हम अपने लक्ष्यों में सफल होंगे। □

अनमोल वचन

- न तो किसी को युद्ध में जाने की सलाह दो और न ही विवाह की। (स्पेनिश लोकोक्ति)
- आदत रस्सी की तरह है। हर रोज इसमें एक बट देते हैं और अन्त में हम इसे तोड़ नहीं सकते। (यान)
- अन्धा वह नहीं जिसकी आंख नहीं होती, अन्धा वह है, जो अपने दोषों को छुपाता है। (महात्मा गांधी)
- सफलता अपने हाथों में नहीं, बल्कि मेहनत अपने हाथों में है। (लिंकन)
- अपने साथ किए गए जिस व्यवहार को तुम पसंद नहीं करते, वैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ भी करो। (कनफ्यूशियस)
- जो स्वयं संसार की वासनाओं में लिप्त हैं वह दूसरों का उद्धार नहीं कर सकता। (अज्ञात)
- अगर तुम विश्वास में महान् नहीं हो तो किसी चीज में महान् नहीं हो सकते। (जैकोबी)
- सुख का कारण संतोष और दुःख का कारण असंतोष है। (गोल्ड स्मिथ)
- चाहे कोई हमारी बात समझे या न समझे, संक्षेप में कहना हमेशा ही अच्छा है। (बटलर)
- यदि तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो अर्पित करना सीखो। (नेताजी)

राधेश्याम
बी-306, मजलिस पार्क
गली नं० 3, पो० आ०
आजादपुर, दिल्ली-110033

एक पेड़ लगाइए : दस पेड़ बचाइए

✱ सुन्दर लाल बहुगुणा

पेड़ पौधों के बारे में विश्वव्यापी चेतना ने वन-महोत्सव को नया महत्व प्रदान किया है। इस जागृति का मुख्य कारण तेजी से होने वाला वन विनाश है। दुनिया के प्राण वायु (आक्सीजन) के भंडार उष्ण कटिबंधीय (ट्रापिकल) वन प्रति मिनट 30 हेक्टेयर के हिसाब से कम हो रहे हैं। शीतोष्ण वनों में पुनर्जनन की रफ्तार बहुत धीमी है और वन विशेषज्ञों का मत है कि यदि यही रफ्तार जारी रही तो साठ वर्षों में अगम्य क्षेत्रों के अलावा कहीं भी वन नहीं रह जाएंगे। इससे मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पेड़ मुफ्त प्राणवायु का कारखाना है और हमारी सभ्यता के पहियों को चलता रखने वाली ऊर्जा का एकमात्र नवीनीकृत होने वाला स्रोत है।

संभवतः इस तथ्य को हमारे प्राचीन ऋषियों ने समझा था और अग्नि पुराण के ऋषि को, जिसने यह कहा कि, एक पेड़ दस पुत्र समान, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हुई होगी। एक पेड़ की दस महत्वपूर्ण देनें हैं:—प्राणवायु, पानी, मिट्टी, ऊर्जा, खाना, कपड़ा, मकान, दवाई, चारा और छाया। एक मुस्लिम संत ने कहा है कि पेड़ लगाने वाले की ओर से उसकी मृत्यु के बाद भी उस पेड़ की पत्तियों की पशुओं के लिए और फलों की मनुष्य के लिए खैरात बंटती रहेगी। लगभग छः सौ वर्ष पूर्व कश्मीरी संत शेख नूरुद्दीन (नुंद ऋषि) ने घोषणा की थी "येली वन पोषण, तेली पोषी अन्न", (जब तक वन रहेंगे, तब तक अन्न भी रहेगा।) भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अपने जीवन काल में पांच पेड़ लगाने और उनका पालन-पोषण करने का आदेश दिया।

परन्तु हम अंधविश्वास के युग में रहते हैं। धार्मिक उपदेशों के पीछे भले ही वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हों, हम उन पर विश्वास नहीं करते। यह अर्थ युग है। पेड़ों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट करते हुए "लघु ही सुन्दर है" के विश्वविख्यात लेखक डा. शूमाखर ने बौद्ध अर्थशास्त्र के संदर्भ में लिखा है, जब तक भारत में पेड़ लगाने और उनका पोषण करने की बौद्ध परम्परा कायम रही, न कभी अकाल पड़ा और न सूखा। बाढ़ भी नहीं आती थी। इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस, कलकत्ता विश्वविद्यालय के डा. तारक मोहन दास ने पचास वर्ष के कार्यकाल में एक सामान्य पेड़ की सेवाओं का मूल्यांकन अपने शोधपत्र में पेश किया है। प्राणवायु (आक्सीजन) पैदा करने, दूषित वायु के शुद्धिकरण, भूमिगत जल का ऊपर फेंकने और वर्षा लाने, भूमि का कटाव रोकने, पक्षियों को शरण देने और प्रोटीन पैदा करने के रूप में एक पेड़ 15 लाख 70 हजार रुपये के बराबर सेवाएं करता है जबकि उसे लकड़ी के लिए काटकर हम केवल 0.3 प्रतिशत ही प्राप्त करते हैं पेड़ों का अशान्त मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले शान्तिदायक प्रभाव का तो कोई मूल्यांकन ही नहीं हुआ है।

इसलिए जो पेड़ हम लगा रहे हैं, वह सुख, शान्ति और समृद्धि का स्रोत है। नगरों में लोग प्रायः सजावट के लिए पेड़ लगाते हैं और वन विभागों की ओर से इमारती लकड़ी के रूप में पैसा कमाने के लिए। ये दोनों दृष्टियां व्यावहारिक नहीं हैं। जहां पेड़ होगा, वहां तो अवश्य ही धरती का श्रृंगार होगा। पेड़ का जीवन समाप्त होने के बाद लकड़ी भी मिलेगी। हमारी तात्कालिक आवश्यकता तो बढ़ती जनसंख्या की भूख की ज्वाला शान्त करने की है। अतः सर्वाधिक प्राथमिकता ऐसे पेड़ों को लगाने को मिलनी चाहिए जिनसे काष्ठफल, खाद्य बीज, तेल, फल और शहद मिल सकें। इस धरती के पुत्र पशु-पक्षी भी हैं। अन्न और अपने भोग की अन्य सामग्री पैदा करने के लिए धरती का अधिकाधिक उपयोग हम करते जा रहे हैं और इन्हें भूलते जा रहे हैं। वन्य जंतुओं की कई जातियां तो प्रायः लुप्त हो गई हैं। खेती के मित्र पक्षी कम होते जा रहे हैं। प्रख्यात पक्षी-प्रेमी श्री सालिम अली के शब्दों में, मनहूस माना जाने वाला उल्लू एक रात में तीन चूहों का शिकार करता है। एक जोड़ा चूहा एक वर्ष में 700 चूहों की जनसंख्या बढ़ाता है। जल्दी उगने और पशुओं से सुरक्षित रहने के गुणों के कारण युकिलप्टिस और चीड़ जैसे धरती के शोषक पेड़ों को वृक्षारोपण के नाम पर लगाना अगली पीढ़ियों के साथ विश्वासघात है। नारियल व कटहल अच्छे खाद्य हैं। जामुन, आम और इमली लोकप्रिय खाद्य हैं, परन्तु बहुद्देशीय शहतूत, विटामिन "सी" से भरपूर आंवला, डाक्टर नींबू और वैद्यराज बेल को भी नहीं भूलना चाहिए। नीम के गुणों से हम सब परिचित हैं। परन्तु साबुन के पेड़ रीठा को भूलते जा रहे हैं। ऊंची पहाड़ियों पर तो अखरोट, और चेशनट (मीठा पांगर) सर्वोत्तम पेड़ हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वृक्ष खेती संस्थान ने विभिन्न जलवायुओं में पनपने वाले ऐसे पेड़ों पर अनुसंधान किया है जो पौष्टिक खाद्य देते हैं। कैरब उनमें स एक है। भारत में अनाजों के संबंध में तो काफी काम हुआ है परन्तु वृक्षों के बारे में बहुत शोध कार्य की आवश्यकता है। पीपल जैसे अधिकाधिक प्राणवायु, छाया और पशु-पक्षियों को पौष्टिक खाद्य देने वाले वृक्ष की पूजा की परम्परा को अंधविश्वास कहकर छोड़ तो रहे हैं, परन्तु विज्ञान की नवीनतम खोजों का लाभ नहीं उठा रहे हैं। काश! हमारे देश में वृक्षों के चैतन्य स्वरूप संबंधी ज्ञान को घर-घर में पहुंचाया जा सकता।

एक पौधे का उगना एक नये प्राणी का जन्म है और जब हम उसे अपने हाथों से लगाकर सींचते हैं, तो यह मानना चाहिए कि हमने इस नन्हे बच्चे को गोद ले लिया है। परन्तु होता यह है कि पेड़ लगाने के बाद कोई

उसकी देखभाल, सार संभाल नहीं करता। उधर शैशवावस्था में ही समय पर पानी और खाद न मिलते रहने से इसकी बाढ़ रुक जाती है। फिर भी पेड़ जिंदा रहने का प्रयास करता है। इसकी नई फूटने वाली कोंपलों पर बकरी ने मुंह मार दिया तो बाल्यावस्था में ही इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इस प्रकार लगने के बाद जिंदा रहने वाले पेड़ों की संख्या बहुत कम रह जाती है। मुझे हाल ही में पेड़-पौधों को पुत्र के समान फलने और उनकी रक्षा करने का एक शानदार नमूना मिला है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी 10 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर बसी हुई है। यहां पहले तो पेड़ पौधे थे ही नहीं। बताया जाता है कि सन् 1899 में इसाई मिशनरी वहां विलो (बेंत) की कलम ले गए और लोगों ने ईंधन और चारे के लिए इन पेड़ों को उगाना शुरू किया। लाहौल तो हिम रेगिस्तान है। गर्मियों में यहां की मिट्टी इतनी तपती है कि कोई वनस्पति टिक नहीं सकती। वहां के लोगों ने इन पेड़ों की सिंचाई के लिए पानी की नालियां हर पेड़ की जड़ तक पहुंचाई। भूखी बकरियां और भेड़ें तो पत्ते तो दूर रहें इनकी छाल पर भी टूट पड़ती थीं। उनसे इनकी रक्षा के लिए प्रत्येक पौधे पर कम से कम पांच फुट की ऊंचाई तक बोरी का टाट बांधा जाता है। प्रत्येक परिवार के अपने पेड़ हैं और सरकार ने यह मान्य किया है कि जहां भी कोई पेड़ लगाया वह उसकी सम्पत्ति होगी। भगवान बुद्ध ने जब प्रत्येक व्यक्ति को पांच पेड़ लगाने और उसकी पांच वर्ष तक देखभाल करने का उपदेश दिया था तो उसके पीछे यही व्यावहारिक सत्य था। अब पेड़ों को लगाने के साथ-साथ उनके पालन-पोषण के पहलू और रक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यह तब ही संभव होगा जब धरती पर लगाया गया हर पेड़ किसी व्यक्ति का होगा। पेड़ लगाने वाले हाथों का साथ उसके प्रति हृदय में पेड़ के लिए भरा हुआ प्रेम भी देगा। पेड़-पौधे संगीत प्रेमी होते हैं। उनको मधुर संगीत सुनाइए।

आज लगने वाले पेड़ों के पोषण के साथ पहले से लगे हुए पेड़ों की रक्षा अत्यावश्यक है। हमारी नागरीय सभ्यता के विस्तार के साथ-साथ सड़कों और इमारतों के निर्माण, कल-कारखानों की कच्चे माल की भूख को तृप्त करने के लिए पेड़ों की हत्या होती है। इसे तो संवेदनशील हृदय ही रोक सकते हैं। अतः एक पेड़ को पनपाने के साथ-साथ दस पेड़ों को बचाने का संकल्प कीजिए। □

उम्मीदों का गुलशन खिला के रहेंगे

हेमन्त गोस्वामी
बिन्नानी चौक
बीकानेर (राजस्थान)

जो हिम्मत से परचम को थामा है हमने
उम्मीदों का गुलशन खिला के रहेंगे,
जो मेहनत के पंखों को पाया है हमने
नसीबों की मंजिल तो पा के रहेंगे।
कभी दासता में तो जकड़े थे हम-तुम
अब आजाद पंछी बने आसमां के,
हुकूमत करें, क्या कोई आज हम पर
बने बादशा हम खुद अपने जहां के।
जो राहे-वतन में चले साथ मिलके
तो राहों के कांटे हटा के रहेंगे।
हमारे दिलों की यही है तमन्ना
कि अपने वतन को बना दें नगीना,
बहारों से आगे सितारों से आगे।
जन्नति के तट पे लगा दें सफीना।
अमन का वो नग्मा जो सीखा था हमने
वो सारे जहां को सिखा के रहेंगे।
लानत है उन पर जो हैं देश द्रोही
लगा दें अब उनके चेहरों पे स्याही,
हमसे है बढ़कर वतन ये हमारा
हर इक नौजवां है वतन का सिपाही।
मोहब्बत से दुश्मन को अपना बना के
ये नफरत की दुनियां मिटा के रहेंगे।

उज्जैन में वृक्षारोपण का सघन अभियान

डी० राम

एक ओर जहां सारे देश में वृक्षारोपण और हरियाली योजना का कार्यक्रम जोर-शोर से प्रारम्भ हुआ है वहीं उज्जैन नगर-पालिका निगम द्वारा नगर को हरा-भरा एवं सुन्दर बनाने हेतु विशाल पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान का श्रीगणेश किया गया है। नगर-पालिका निगम ने मानसून की प्रथम वर्षा के आगमन के साथ ही अपनी योजना को साकार करने का संकल्प लिया है जिसमें उसे वन विभाग, स्वयं सेवी संस्थाओं, युवा संगठनों एवं आम नागरिकों का भरपूर सहयोग प्राप्त है। उज्जैन जैसे ही पुरातन काल से विभिन्न प्रकार के फलों, वनस्पतियों एवं वाटिकाओं के आच्छादित हरा-भरा नगर रहा है जिसका प्रभाव हमें महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी मिलता है। इसलिए उज्जैन के गरिमा-मय अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए नव-निर्माणों के संकल्प के अनुरूप नगरपालिका निगम द्वारा नगर में विभिन्न उद्यानों एवं वन विकास की एक महत्वकांक्षी योजना हाथ में ली है।

योजना के प्रथम चरण में दिनांक 2 जुलाई 1981 का मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री अर्जुनसिंह द्वारा रुद्रसागर विकास योजना के अन्तर्गत महाकाल वन परियोजना का शुभा-रम्भ वृक्षारोपण द्वारा किया गया। स्कन्द-पुराण के अनुसार महाकाल मंदिर के चारों ओर एक विशाल वन क्षेत्र फैला हुआ था। इस वन को अत्यंत पवित्र माना जाता था और इसे महाकाल वन कहते थे। इसी गरिमामय अतीत को साकार करने हेतु रुद्रसागर महाकाल वन योजना का प्रारम्भ किया गया जो पांच वर्षों में पूर्ण होगी। इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जो के अतिरिक्त छात्रसंघ भानव कालेज के अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा छात्र संगठन शिविर के संयोजक एवं लगभग 250 युवा प्रतिनिधियों ने विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया। उपर्युक्त योजना के अलावा क्षिप्रा के घाटों के आस-पास के क्षेत्रों को नगर निगम ने वृक्षारोपण एवं उद्यान विकास के लिए विशेष रूप से चुना है। इससे घाटों की सौन्दर्य वृद्धि के साथ-साथ प्रत्येक बारह वर्षों में आने वाले सिंहस्थ यात्रियों के लिए छाया भी उपलब्ध हो सकेगी। क्षिप्रा के किनारे दिनांक 5 जुलाई 1981 को उज्जैन के संभागायुक्त श्री ओम प्रकाश मेहरा के मुख्य आतिथ्य में वृक्षारोपण का एक विशेष कार्यक्रम रखा गया जिसमें नगर निगम प्रशा-सन सहित बहुत से अधिकारी एवं गणमान्य नागरिकों ने वृक्षारोपण किया। इसी दिन हरियाली प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मंगल वाटिका के नाम से मंगलनाथ मंदिर क्षेत्र में वनविभाग के सौजन्य से 700 पौधे लगाये गए। क्षिप्रा के किनारे चक्रतीर्थ, सांदीपन आश्रम, नगर-सिंह घाट पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है।

नए वृक्षों के लगाए जाने के साथ ही नगर में पुराने उद्यानों को विकसित एवं सुसज्जित करने की भी योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत मृगदाव (हिरण वाटिका) का निर्माण, नगरवासियों के लिए आधुनिक उद्यान का निर्माण एवं बाल उद्यान का निर्माण शामिल है। विश्वविद्यालय क्षेत्र में स्थित विक्रम वाटिका भी नगर निगम द्वारा शामिल अधिग्रहीत की गई है और उसमें अब बोटे-निकल गार्डन, चिड़ियाघर तथा आधुनिक पार्क बनाने की योजनाएं हैं। विक्रम वाटिका के अन्तर्गत खाली भूखण्डों में 2000 उन पौधों को लगाए जाने की योजना है जिनका उल्लेख महाकवि कालिदास के साहित्य में हुआ है। वृक्षारोपण में मुख्यतः आम, नीम, पीपल, बड़, कदम्ब, शीशम, कचनार, पलास, इमली, गुलमोहर आदि के वृक्ष शामिल किए गए हैं।

वृक्षारोपण अभियान नगर निगम द्वारा 31 जुलाई 1981 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। योजना के अन्तर्गत 7 नये उद्यान, सभी प्रमुख सड़कों पर वृक्षारोपण तथा शहर की नई कालोनियों में नागरिकों के सहयोग से वृक्षा-रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष जो भी नागरिक पौधा लगाना चाहेगा उसे नगर निगम की ओर से मुफ्त पौधा उपलब्ध कराया जाएगा लेकिन रख-रखाव एवं रक्षा का भार स्वयं नागरिक को वहन करना पड़ेगा। इस दृष्टि से नगर निगम द्वारा दो बड़ी-बड़ी नर्सरियां भी स्थापित की गई हैं जो नागरिकों को आवश्यकताओं की पूर्ति कर नगर को हरा-भरा कराने में सहायक होंगी। ☐

(डी. राम)
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी,
उज्जैन (म. प्र.)

भारत में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज योजना की प्रगति तथा उपलब्धियां

श्री किरानी प्रसाद सिंह

भारत में सामुदायिक विकास योजना एवं पंचायती राज योजना दोनों का एक जैसा कार्यक्रम है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के कार्यों के कार्यान्वियन के लिए दोनों का उद्देश्य एवं तालमेल एक-सा बैठता है। दोनों संस्थाओं द्वारा इस भारत के उजड़े गांवों को नया निर्माण करने के लिए प्रचार एवं प्रसार तथा जनसहयोग के माध्यम से ही सफलता की आशा की जाती है।

सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यक्रमों का कार्यान्वियन सरकारी अधिकारियों के माध्यम से एवं पंचायती राज योजना का संचालन जनता द्वारा उचित माध्यम से निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है।

पंचायती राज योजनाओं के कार्यक्रमों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर जनतांत्रिक पद्धति से कानून बनाकर जनप्रतिनिधियों के सुपुर्द किया गया है। यही इसकी एक मुख्य विशेषता रही है।

सामुदायिक विकास योजना का श्रीगणेश 2 अक्तूबर, 1952 से पूरे भारत में किया गया था तथा पंचायती राज योजना का शुभारम्भ 2 अक्तूबर, 1951 को जाँच स्वरूप राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में किया गया। योजना सम्बन्धी कार्यक्रमों की सफलता एवं इससे हुए लाभों तथा उपलब्धियों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक नीचे की पंक्तियों में दर्शाया गया है।

15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया जिसने समस्त भारत के विकास के लिए योजनाओं का कार्यान्वियन आरम्भ किया और महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्तूबर, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को चालू किया। प्रथम चरण में 55 अग्र परियोजनाओं का उद्‌घाटन किया गया। यह कार्यक्रम एक जन-अभियान के रूप में परिणत हो गया। योजनाओं के संचालन एवं इनकी पूर्ण सफलता के लिए अमेरिका तकनीकी सहयोग लेना आवश्यक समझ कर अमेरिका में कृषि विकास के तौर-तरीके की जानकारी के लिए सहायता स्वरूप कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया।

वास्तव में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज योजना का कार्यक्रम एक है। सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यक्रमों को सफल बनाने के खयाल से भारत सरकार ने गुजरात प्रदेश के मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री बलवन्त राय मेहता के नेतृत्व में पंचायती राज की स्थापना करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण कर पंचायती राज योजना की स्थापना हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् की स्थापना करने तथा इसे शक्ति देने सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सुपुर्द किया। भारत सरकार की राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 12 जनवरी, 1958 की अपनी बैठक में जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी समिति की सिफारिशें मान लीं। प्रतिवेदन के अनुसार सामुदायिक विकास योजना के सभी कार्यक्रमों को पंचायती राज योजना के अन्तर्गत परिणत करने सम्बन्धी अनुशंसा की गई।

तत्पश्चात् देश के अन्दर सर्वप्रथम राजस्थान प्रदेश में नागौर में पंचायती राज योजना का उद्‌घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्तूबर, 1959 को किया।

सामुदायिक विकास योजना के सम्बन्ध में पंडित नेहरू ने कहा था कि सामुदायिक परियोजनाएं सारे भारत में चमकती हुई जीवनदायिनी ऐसी गतिशील चिनगारियां हैं जिनसे शक्ति, आशा और उत्साह की किरणें निकलती हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एक ओर जहां महात्मा गांधी के कुछेक आर्थिक सिद्धांत सन्निविष्ट हैं वहीं दूसरी ओर इसमें अमेरिका में हुए विकास ढांचे पर कृषि विकास के कुछ तरीके भी शामिल हैं। इसके जरिए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के ढांचे में तेजी से आर्थिक सुधार लाने के सम्बन्ध में जनता की जागरूकता का भी संकेत मिलता है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने सामुदायिक योजना की आवश्यकता एवं इसकी सफलता पर जोर देते हुए यह विचार भी व्यक्त किया कि प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत तथा एक सहकारी समिति और एक स्कूल होना जरूरी है। भारत के गांवों में इन तीनों चीजों की आवश्यकता है। उन्होंने अपना उद्‌गार व्यक्त करते हुए यह कहा कि पंचायत गांव का प्रशासनिक कार्य संभालेगी, सरकारी समिति आर्थिक कार्य देखेगी और स्कूल शिक्षा-दीक्षा का काम संभालेगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त तीनों चीजों द्वारा किसी ग्राम में हम अपने-अपने देश की मजबूत नींव डाल सकते हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय विकास समिति द्वारा देश के अन्तर्गत सामुदायिक योजना के चलाने पर बल देते हुए एक अभियान के रूप में इसे संचालित करने का कार्यक्रम बनाकर निम्नलिखित सिद्धांत अपनाने का निर्णय किया गया :—

(1) ग्रामीण विकास में विश्वास, (2) ग्रामीण जनता की क्षमता में विश्वास, (3) लोकतन्त्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, (4) सामाजिक न्याय में विश्वास, (5) विज्ञान और प्रौद्योगिक में विश्वास, (6) आर्थिक विकास, (7) सामाजिक परिवर्तन, (8) लोकतांत्रिक

विकास, (9) बेहतर सिंचाई सुविधाएं (10) उन्नत बीजों का प्रयोग, (11) उर्वरकों के प्रयोगों को प्रोत्साहन, (12) भू-कर्षण और मिट्टी संरक्षण, (13) उन्नत कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाना, (14) योजना उत्पादन, (15) उन्नत कृषि के तरीकों को अपनाना ।

उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों को पंचायती राज योजना के अन्दर समावेश कर सफल बनाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। पंचायती राज कार्यकर्ताओं को चाहिए कि अपने-अपने क्षेत्र में ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर इससे लाभ उठाने का प्रयास करें जिससे सामुदायिक विकास योजना एवं पंचायती राज योजना द्वारा गांवों का सर्वांगीण विकास हो सके। जनता पंचायती राज योजना के प्रति बड़ी श्रद्धा से ध्यान लगाए बैठी है । यदि इस योजना द्वारा उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकेगी तो उन्हें भारी सदमा पहुंचेगा ।

भूतपूर्व केन्द्रीय सामुदायिक विकास मंत्री श्री एस० के० डे ने, जिनके ऊपर इस योजना की सफलता का पूरा दारोमदार था अपने अथक प्रयास से इस योजना की सफलता के लिए कोई कोर-कसर नहीं रखी । उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि ग्राम पंचायत, सहकारी एवं शिक्षण संस्थाओं, को अलग-अलग एवं मिल-जुलकर काम करना चाहिए जिससे राष्ट्र को एक समाजवादी समाज के रूप हम परिणत कर सकें ।

सामुदायिक विकास योजना की आवश्यकता एवं इसकी सफलता पर अपना विचार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर श्री उमराव सिंह ने अपनी पुस्तक (सी० डी० एण्ड इण्डिया) में यह कहा है कि सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्रमों ने इस देश की अर्थ-व्यवस्था और यहां की जनता के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाला है । इस कार्यक्रम के जरिए धन वितरण से उत्पन्न समस्याओं को शान्ति पूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश की जा रही है और अमीरों तथा गरीबों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया जा रहा है । उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए आगे कहा है कि अपनी सभ्यता के रूप में आए परिवर्तन के साथ-साथ आधुनिकतम आयोजित समाज के लिए परमावश्यक सहकारी जीवन की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते हुए हमें औद्योगिक जीवन अपनाना चाहिए । सहकारिता की भावना और सामुदायिक कार्यकलाप किसी भी योजना की सफलता की पूर्व शर्तें हैं । द्रव्य सामग्रियां, मशीनें और औजारों की परमावश्यकता है । इन तीन चीजों को हासिल करना होगा । लेकिन किसी भी उद्योग में सर्वाधिक आवश्यक कच्चा माल मानव ही है । इस मानव को हमें समुचित शिक्षा के द्वारा पैदा करना है । शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में सामुदायिक विकास और सहकारिता का अध्ययन एक आवश्यक तत्व है। यह युवकों एवं युवतियों के इस आन्दोलन में अभिरुचि पैदा करने और भावी नेताओं को गढ़ने का सर्वोत्तम तरीका है ।

उन्होंने योजना की सफलता में लगे अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को मार्ग दर्शन के रूप में अपना विचार देते हुए कहा है कि अधिकाधिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की भावना समुदाय में पैदा की जानी चाहिए और सम्बद्ध विभागों के बीच अधिकाधिक समन्वय एवं सहयोग होना चाहिए तथा उपर्युक्त प्रोत्साहनों और पुरस्कारों के माध्यम से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने और स्थानीय जनता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी तरह प्रशासन तंत्र, को कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा पंचायतें और सहकारी समितियां जैसी जन संस्थाओं का निर्माण करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय बनाना चाहिए ।

सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने दूसरे विकास युक्त सम्मेलन में निम्न विचार व्यक्त किए हैं :-

(1) सामुदायिक विकास एक पद्धति है । (2) राष्ट्रीय विस्तार एक एजेंसी है । (3) ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में तेजी से परिवर्तन और सुधार लाना लक्ष्य है । (4) ग्रामीण आबादी को अर्द्ध-रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर उन्मुख करना, (5) वैज्ञानिक जानकारी के जरिए ग्रामीण आबादी को अर्द्ध-उत्पादन की ओर उन्मुख करना, (6) ग्रामीण परिवारों को ऋण का सदुपयोग करने तथा उन्हें योग्य बनाकर सहकारिता के सिद्धांतों का अधिक से अधिक विस्तार करना, (7) ग्रामीण सड़कों, तालाबों, कुओं, स्कूलों, सामुदायिक केन्द्रों, बालकल्याण केन्द्रों आदि जैसे समुदाय के लाभ वाले कार्यों, व्यावसायिक प्रयासों में वृद्धि करना । सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की व्याख्या एवं इसकी उपलब्धियों के सम्बन्ध में संयुक्तराष्ट्र की रिपोर्ट में श्री हैमर शोल्ड ने अपना विचार निम्न रूप से व्यक्त किया है ।

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का लक्ष्य केवल गावों में पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य उनका यह है कि ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करके एक ऐसी भावना पैदा की जाए जिससे वे समृद्ध जीवन जीने की महत्वाकांक्षा संजोएं और सभी गुणों का विकास करें तथा अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन सकें। सामुदायिक विकास बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए निम्न प्रकार पांच सुझाव दिए गए हैं ।

(1) सामुदायिक विकास में आवश्यकताओं और कार्यकलापों के उद्देश्य निर्धारित करने के तरीके । (2) संचार के तरीके । (3) स्व सहायता के जरिए सामुदायिक सुविधाएं प्रदान करने के तरीके (4) बाहरी सहायता प्रदान करने और (5) बहुद्देश्यीय कायक्रम विकसित करने के तरीके।

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता एवं इसके द्वारा हुई उपलब्धियों के सम्बन्ध में एक विदेशी प्रेक्षक श्री एन० स्मिंगलर ने कहा है कि कृषि और ग्राम सुधार के लिए 1952 में कार्यक्रम चालू किया गया।

उन्होंने कहा है कि सामुदायिक विकास एक ऐसा तरीका और ग्रामीण विस्तार एक ऐसी एजेंसी है जिनके जरिए

पंचवर्षीय योजना गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करती है। उन्होंने आगे कहा कि 12 वर्षों की अवधि में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। हजारों नई पाठशालाओं, सड़कों, पुलों, कुओं पुस्तकालयों, सूचना केन्द्रों, अस्पतालों और क्लिनिकों का निर्माण किया गया है। लाखों बच्चों को अब स्कूली शिक्षा प्राप्त होने लगी है जिन्हें पहले स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती थी। करीब 50 हजार जन-सेवक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। जो ग्रामीणों को अपने कृषि उत्पादन के तरीकों में सुधार लाने आदि के कामों में सहायता कर रहे हैं। साथ ही नई सहकारी समितियों की स्थापना कर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी ऋण संस्थाओं के सुधार की दिशा में काफी अच्छा काम किया गया है। उन्होंने अपने निरीक्षण टिप्पणी में कहा है कि दरअसल सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संस्थापकों का लक्ष्य एक ऐसा कार्यक्रम चालू करने का था जिसका उद्देश्य रूढ़िग्रस्त ग्रामीण समाज का भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करना था। लगभग 30 करोड़ ग्रामीणों को सीधे इस कार्यक्रम में भागीदार बनकर लाभान्वित होना था और इस तरह से समस्त भारत को भी लाभान्वित करने का लक्ष्य था।

उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया है कि इस सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत पहला काम ग्रामीणों को विदेशी शासन से मुक्ति का अर्थ समझाने और उन्हें इस बात के लिए जागरूक बनाने का है कि अब वे स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं और उन्हें अब गरीबी, बिमारी और आलस्य की जिन्दगी जीने की जरूरत नहीं। यह जागरण लोगों में आ रहा है। सामुदायिक विकास के जरिए। ग्रामीण अब यह समझ गए हैं कि अच्छी आय, बेहतर जीवन दशाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करना उनका अधिकार है।

ग्रामीणों की शिक्षा के जरिए दूसरी प्रगति यह हुई है कि अब वे अपनी समस्याओं को हल करने की दिशा में अधिक जिम्मेदारी अपनी कंधों पर लेने लगे हैं।

श्री एन० स्मिंगलर द्वारा भारत के अन्दर सामुदायिक योजना के कार्यक्रमों को काफी हद तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने आगे आने वाले युवजनों को ललकारते हुए यह कहा है कि अब लाखों ग्रामीण, जो कुछ साल पहले तक यही सोचते थे कि उनकी बुराइयां भगवान् की देन है और उन्हें केवल सरकार ही दूर कर सकती है, यह समझने लगे हैं कि अकाल, महामारियां, गरीबी तथा अन्य मानव निर्मित बुराइयां दूर करने के लिए वे सक्षम हैं और उनके द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक सहायता मिलनी चाहिए।

आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि सामुदायिक कार्यक्रम ने भारत के पांच लाख साठ हजार गांवों में लोकतांत्रिक पद्धति के लिए व्यापक आधार तैयार करने में सहायता पहुंचाई है। सामुदायिक विकास का लक्ष्य यही है कि ग्रामीण अपने बारे में सोचें और अपने विचारों और अपनी दिलचस्पी को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करें तथा ऐसे निर्णय स्वयं लें जो राष्ट्र के लिए सहायक सिद्ध हो।

पर्यवेक्षण के दौरान उन्होंने लिखा कि इस माने में ग्रामीण जागरूक हैं। पंचायतीराज योजना को लागू करके सामुदायिक विकास प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को स्थानीय विकास कार्यों की स्वयं योजनाएं बनाने एवं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। स्वतन्त्रता के साथ-साथ यह एक भारी कदम है।

सामुदायिक विकास इस महान अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य तथ्यों को परखने और ठोस निर्णय लेने में लोगों को दी जाने वाली सहायता के आधार पर लोगों द्वारा ही विधिवत् रीति से काम कराना है। इस उद्देश्य की उपलब्धि का अर्थ संपूर्ण ग्रामीण विकास है। सचमुच ही स्वतन्त्रता के अन्तर्गत सभी प्रकार के महत्वपूर्ण विकास की भावना सामुदायिक विकास में ही निहित है। फलतः केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें भी दूसरे ढंग से नई विकास नीतियां अपनाकर प्रशासनतंत्र और प्रवृत्तियों का समायोजन करके विकास कार्य में जुटी हैं।

इस विदेशी प्रेक्षक ने योजना के कार्यक्रमों की सराहना की है। इस सम्बन्ध में मैं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों एवं पंचायती राज योजनाओं में लगे कार्यकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उपरोक्त महापुरुषों एवं महानुभावों द्वारा बताए गए मार्गों को अपना कर अपने-अपने कार्य-क्षेत्रों में इसका व्यापक रूप से प्रचार करें जिससे भारत के उजड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके और महात्मा गांधी के सपनों को साकार बनाकर रामराज्य की कल्पना को पूरा किया जा सके। ☐

जब तक आदमी अपने आप को सुखी नहीं समझता तब तक सुखी नहीं हो सकता।

कृषि यंत्रीकरण-नियंत्रित रफ्तार से और आंशिक रूप में ही क्यों?

राधा मोहन श्रीवास्तव

आज के वैज्ञानिक युग में नए-नए कृषियंत्रों और उपकरणों द्वारा कृषि कार्य बहुत ही उन्नत और सरल हो गया है। किसान व पशुओं को श्रम में राहत देने, समय की बचत, फसल की सिंचाई व सुरक्षा और अधिकाधिक उपज की दृष्टि से कृषि यंत्रों की उपयोगिता साफतौर पर जाहिर होती जा रही है। कृषि यंत्रीकरण के फलस्वरूप पश्चिमी देशों में जो कृषि क्रांति हुई है उसकी तुलना अठारहवीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति से की जाती है। कृषि यंत्रीकरण के जरिए उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी एक खासी उपलब्धि बनती जा रही है। उसके अलावा, कृषि यंत्रों द्वारा बंजर भूमि को तोड़कर काश्त लायक बनाया जा रहा है। इन्हीं वजहों से पश्चिमी देशों की समृद्धि के पीछे खासतौर से कृषि के यंत्रीकरण का हाथ मानना किसी कदर गलत नहीं है।

बड़े पैमाने की मितव्ययिताएं

अब भारत में भी हरित क्रांति की उपलब्धियों के उपरान्त आमतौर पर यह पक्का विश्वास हो चुका है कि कृषि के यंत्रीकरण के बिना प्रगतिशील कृषिकरण मुमकिन नहीं। कृषि के यंत्रीकरण के कारण अधिक उपज देने वाली किस्मों के खेती क्षेत्र में पूर्वापेक्षा वृद्धि 1975-76 में दुगने से भी अधिक होकर 3.2 करोड़ हेक्टेयर और 1976-77 में 3 करोड़ 36 लाख हेक्टेयर हो गई। 1977-78 में इन किस्मों के अधीन 3 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया गया और अनुमान है कि 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान क्रमश: 4 करोड़ हेक्टेयर और 4.25 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत आ चुका है। बेशक, कृषि में यंत्रीकरण के अंतर्गत श्रम उत्पादिता और भूमि उत्पादिता बढ़ाने की जहां संभावनाएं हैं वहीं उत्पादन लागत भी कम करने की काफी गुंजाइश है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि बैलों से यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्न कृषि कार्यों की लागत में 30.9 प्रतिशत की कमी हुई तथा बीज आदि बोने की लागत में 48.6 प्रतिशत की कमी हुई। मड़ाई व गहाई के शक्ति चालित यंत्रों के प्रयोग द्वारा लागत में 57.4 प्रतिशत कमी रिकार्ड की गई। उसी विश्वविद्यालय के एक अन्य अध्ययनानुसार यंत्रीकरण के कारण कृषि आय में 103.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार उल्लेखनीय है कि कृषि के यंत्रीकरण का मुख्य आधार मशीनों के इस्तेमाल व फसल सुरक्षा द्वारा संभव होने वाली बड़े पैमाने की मितव्ययिताएं हैं और कृषि की सफलता के लिए सिंचाई व फसल सुरक्षा की दशा में आत्मनिर्भरता स्थापित करना है।

अंधाधुंध यंत्रीकरण घातक

लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि भारत में कृषि के आधुनिकीकरण को किस सीमा तक अमल में लाया जाए ताकि कृषक समाज की निर्भरता यंत्रों में भयानक सीमा तक न बढ़ने पाए? वैसे भी कृषि के आधुनिकीकरण का अर्थ यह कदापि नहीं होना चाहिए कि यंत्रीकरण इस हद तक कर दिया जाए कि इस क्षेत्र में लगे श्रमिकों का स्थान मशीनें ले लें और वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाए। वस्तुत: इस आधुनिकीकरण का लक्ष्य यह होना चाहिए कि मशीनों की सहायता से कृषि कामगारों को कम मेहनत करनी पड़े। कृषि की दुरुह प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने की दृष्टि से यंत्रों की उपयोगिता का एक सीमा तक बढ़ाया जाना किसी तरह अवांछनीय व असंगत नहीं प्रतीत होता। भारत जैसे देश में जहां रोजगार के नए अवसर तलाश करना एक चुनौती है, आधुनिकीकरण या यंत्रीकरण एकाएक नहीं करना चाहिए और जहां भी इसे अपनाया जाए, लक्ष्य यही हो कि इसमें बड़े पैमाने की मितव्ययिताएं और रोजगार अवसरों में वृद्धि साथ-साथ हों। इसलिए स्मरण रहे कि भारतीय कृषि में अंधाधुंध यंत्रीकरण की नीति लागू करना घातक साबित हो सकता है।

यह बात खासतौर से काबिलेगौर है कि भारत में यंत्रीकरण ने विकास प्रक्रिया से उत्पन्न समस्याओं को जन्म दिया है जिनका कुशलतापूर्वक मुकाबला करना अभी बाकी है। अत: जहां तक हो सके हमें नियंत्रित व सीधी रफ्तार से यंत्रीकरण करके भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण व व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना होगा।

यंत्रों की मांग-पूर्ति में भारी असंतुलन

दरअसल भारत में यांत्रिक खेती आजादी का विहान होने के समय प्राय: अपवाद स्वरूप में होती थी। कुछ सामन्त और अमीर किसानों ने यांत्रिक खेती को इस बीसवीं शती के प्रारम्भ में ही अपना लिया था। मगर अधिकांश किसान जोतों के उपविभाजन और विखंडन, पूंजी के अभाव, यंत्रों की दुर्लभता और उसके संचालन में निहित पेचीदगियों तथा, प्रचार-प्रसार की कमी के कारण इस प्रकार की तकनीकी को न तो पहले अपना सके थे और न आज तक अपना सके हैं। हां, यह बात जरूर है कि किसानों को बैंक से कर्ज लेने तथा उस कर्ज का किस्तों में कम ब्याज पर भुगतान करने की व्यवस्था से उच्च वर्गीय किसानों के साथ ही उच्च मध्यम-वर्गीय किसानों में भी कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ रहा है। प्रति एक लाख सकल कृषि गत क्षेत्र के अनुसार सन् 1951 में 7 ट्रैक्टर थे जो 1971 में 126 हो गए। तेल के इंजन

1951 में 63 से बढ़कर 1966 में 304 तथा विद्युत पम्प 1951 में 20 से बढ़कर 1971 में 1003 हो गए। देश में कुल विद्युत पम्प सेटों की संख्या में अन्य कृषि यंत्रों की तुलना में उत्साह वर्द्धक वृद्धि हुई है। विद्युत पम्प सेटों की संख्या 1961 में 1.60 लाख से बढ़कर 1966 में 4.15 लाख तथा 1976 में लगभग 10 लाख तक पहुंच गई। इसी तरह 1951 में ट्रैक्टरों की कुल मांग 8635 से बढ़कर 1972 में 17.0 लाख तथा 1979 में लगभग 34.0 लाख हो गई।

यद्यपि, कृषि यंत्रों की मांग कृषि के व्यवसायीकरण के बढ़ते आयाम के साथ बढ़ती गई है पर मांग व पूर्ति के बीच का भारी फर्क उस अनुपात में कम न हो पाया है। 1973-74 में ट्रैक्टरों का उत्पादन 24125 था। यह बढ़कर 1974-75 में 31088 हो गया। 1975-76 के दौरान 33000 ट्रैक्टर निर्मित किए गए। 1978-79 तक (पांचवीं योजना के अन्त तक) 70000 ट्रैक्टर बनाने की क्षमता के निर्माण का लक्ष्य था, किन्तु हकीकत यह है कि 1978 तक देश में ट्रैक्टर का उत्पादन और बिक्री 45000 तथा 1980 में 55000 तक ही रह गई थी। जिसे 1982-83 तक 68000 तक करने की सम्भावना व्यक्त की गई है। एक सरकारी जानकारी के अनुसार इस समय देश में ट्रैक्टरों की अनुमानित संख्या साढ़े तीन लाख है। 'अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्थान' के साथ संधि के आधार पर सरकार हर साल 2000 ट्रैक्टरों के आयात का विचार रखती है। पहले भी 1825 ट्रैक्टर विश्व बैंक के साथ हुए समझौते के तहत आयात किए गए हैं। इस प्रकार ट्रैक्टरों के उत्पादन व आयात में बढ़ोतरी के बावजूद ट्रैक्टरों की मांग व पूर्ति का लम्बा अन्तर अभी रह गया है।

कई अन्य देशों की तुलना में भारत में ट्रैक्टरों की संख्या बहुत ही कम है। आज भारत में प्रति 10000 हेक्टयर कृषि क्षेत्र में एक ट्रैक्टर उपलब्ध है जबकि पश्चिमी जर्मनी में 470 ट्रैक्टर, नीदरलैंड में 330 ट्रैक्टर तथा जापान में 5 हेक्टयर पर एक ट्रैक्टर है। थियोडोर बर्गमैन ने भारतीय कृषि के लिए ट्रैक्टरों की जरुरत के बारे में जो अनुमान लगाए हैं उन पर गौर किया जा सकता। 8-40 हेक्टयर पर एक ट्रैक्टर, 40-100 हेक्टयर पर दो ट्रैक्टर, 100-200 हेक्टयर पर तीन और 200 हेक्टयर से ऊपर के सभी खेतों पर चार ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाए तो देश में 70 लाख ट्रैक्टरों की जरुरत पड़ेगी और फिर भी 65.7 प्रतिशत कृषि क्षेत्र ही ट्रैक्टर कृषि के अधीन आ पाएगा।

सोवियत संघ का सहयोग

उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ सरकार की उदार कृषि यंत्र सहायता व सहयोगी वृत्ति से हमारे देश में यांत्रिक कृषि को एक प्रभावी दिशा मिली और प्रभावोत्पादन उपलब्धि हुई है। 1956 में रूस से प्राप्त यंत्रों के द्वारा सूरतगढ़ (राजस्थान) में एक वृहत् केन्द्रीय सरकार प्रक्षेत्र की स्थापना की गई थी। सूरतगढ़ का यह प्रक्षेत्र वहां की ऊबड़-खाबड़ तथा झाड़-झंखाड़ से पूरी तरह ढकी हुई धरती को तोड़कर और साफकर 16000 हेक्टेयर आकार का था, जो अब 30000 हेक्टयर हो गया है। रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय निकिता ख्रुश्चेव ने सूरतगढ़ के इस दुर्गम भूखंड को कृषि प्रक्षेत्र का स्वरूप देने के लिए सहायता का आश्वासन उसे देखने के बाद ही दे दिया था और अविलम्ब ट्रैक्टरों-बुलडोजर यंत्रों के रूप में सहायता मिल भी गई थी। इस यंत्रीकृत प्रक्षेत्र पर मिली अपूर्व सफलता ने सरकार की दिलचस्पी बढ़ा दी और यह प्रक्षेत्र भारत का सबसे बड़ा यंत्रीकृत प्रक्षेत्र का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। रूस सरकार एक ही बार यंत्रों के रूप में उपहार देकर उसके बाद चुप बैठ गई हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं। अभी 22 अप्रैल, 1980 को रूस ने सूरतगढ़ कृषि फार्म में प्रयोग हेतु 1 करोड़ रुपये कीमत की और मशीनें भारत को उपहार में प्रदान की। इसमें 25 ट्रैक्टर और फसल कटाई-मड़ाई की 15 कम्बाइन मशीनें भी हैं।

कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना

सूरतगढ़ कृषि प्रक्षेत्र पर यंत्रीकरण से जो प्रत्याशित लाभ हुआ उससे उत्साहित होकर केन्द्र सरकार ने अन्य स्थानों पर स्थित प्रक्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिया। 1952 में स्थापित जम्मू-कश्मीर तथा 1953 में स्थापित सुल्तानपुर (भोपाल, मध्य प्रदेश) के दो केन्द्रीय यांत्रिक प्रक्षेत्र विकसित किए गए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में भी यंत्रीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। यों इन सब यांत्रिक प्रक्षेत्रों के पूर्व भारत सरकार ने सन् 1946 में 'केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन' की स्थापना की थी जिसके अन्तर्गत 374 बड़े ट्रैक्टर, 51 मध्यम श्रेणी के ट्रैक्टरों से भूमि पुनरुद्धार का कार्य हाथ में लिया गया था जो आज भी जारी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने 1971 में 'कृषि सेवा केन्द्र योजना' शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य तकनीकी व्यक्तियों को अपना खुद का काम-धंधा शुरू करने के लिए इन केन्द्रों की स्थापना करने में सहायता देना था और खेती के लिए ट्रैक्टर आदि कीमती कृषि यंत्रों आदि को मुहैया कराना तथा उनके रख-रखाव की व्यवस्था करना था। ऐसे यंत्रों को किराए पर देने के लिए 'कृषि सेवा केन्द्रों' और 'मरम्मत भाड़ा' की जो स्थापना की गई है उनसे लाभ करके ग्राम्यांचलों के बहुतेरे जरुरतमन्द किसान आज भी अनभिज्ञ हैं क्योंकि ये कृषि सेवा केन्द्र प्रायः शहरों तक ही अपना कार्यक्षेत्र सीमित किए हुए हैं। दूसरे, इनकी संख्या भी आवश्यकता के आयाम को देखते हुए बहुत कम है।

विभिन्न राज्यों में इस समय कुल 2853 'कृषि सेवा केन्द्र' कार्यरत हैं। उनकी संख्या महाराष्ट्र में 346, राजस्थान में 334, मध्यप्रदेश में 301, पश्चिमी बंगाल में 289, पंजाब में 275, बिहार में 242, आन्ध्रप्रदेश में 234, उत्तर प्रदेश में 201, तमिलनाडु में 142, कर्नाटक में 163, हरियाणा में 124 और गुजरात में 106 है। पिछले वर्ष इन केन्द्रों का एक सरकारी सर्वेक्षण किया गया था। इससे नतीजा निकला कि लगभग 75 फीसदी केन्द्र सुचारु रूप से काम कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के लागू होने के समय से अब तक लगभग 2.37 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यदि इन केन्द्रों की संख्या हर राज्य में बढ़ा दी जाए और अन्य राज्यों में भी ऐसे केन्द्र खोले जाएं तो न केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या घटेगी बल्कि छोटे और सीमान्त किसान भी यंत्रों के फायदे उठाने लगेंगे। निश्चय ही, भारत में प्रगतिशील मानसिकता के ऐसे

[illegible] ही उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रही है।

आंशिक यंत्रीकरण बेहतर

हालांकि, विभिन्न सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानों द्वारा प्राप्त सुविधाओं से उद्यमियों द्वारा उत्साह पूर्वक कृषि का प्रयोग किया जाने लगा है, फिर भी यांत्रिक कृषि के विकास की गति को महज संतोषप्रद भर ही माना जा सकता है, उत्साह वर्द्धक नहीं। फिलहाल देश में यांत्रिक खेती व्यापक स्तर पर न तो अपनाए जाने की संभावना है और न ही निकट भविष्य में अपनाई जा सकेगी। सच तो यह है कि कृषि में पूर्ण यांत्रिकीकरण के लिए अभी अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में कई दशक लग सकते हैं। यों, भारत में अब तक श्रम की मांग पूर्ति से अधिक रहेगी, श्रम सस्ता रहेगा और दूसरी ओर पूंजी के संकट को दूर करके कृषकों की यंत्र-खरीदशक्ति बढ़ाने में काफी समय लग सकता है। ऐसी सूरत में हमारी कृषि के लिए मानव व पशु श्रम की प्रधानता आगे चल कर भी बरकरार रहेगी। लिहाजा, देश में आंशिक कृषि-यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना वर्तमान समय में बेहतर होगा। कृषि यंत्रीकरण की नीति निर्धारित करने में ग्रामीण बेरोजगारी की विकट समस्या पर खासतौर से ध्यान देना होगा। □

राधा मोहन श्रीवास्तव

प्राध्यापक,

नेशनल डिग्री कालेज बड़हलगंज,

गोरखपुर (उ० प्र०)

ट्राइसेम की कहानी जैतून बेगम की जबानी

जनपद इटावा की बिधूना तहसील के विकास खण्ड अछल्दा के ग्राम वैसोली में एक मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का परिवार रह रहा है। परिवार में यासीन नामक 35 वर्षीय एक युवक, उसकी पत्नी जैतून बेगम, एक 12 वर्ष का लड़का तथा 3 लड़कियां क्रमशः 8 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष की हैं, साथ में उसके वृद्ध बाप भी रहते हैं। इस परिवार के पास कोई जमीन नहीं थी और आर्थिक दशा इतनी बिगड़ चुकी थी कि पैसे के अभाव में कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। यासीन के बारे में कहा जा सकता है कि वह रेलवे विभाग में एक छोटी सी नौकरी करता था, किन्तु उसके लगभग 8–10 वर्ष पूर्व उसके पैर में सर्प ने काट लिया था। इस घटना के बाद यासीन का जीवन तो बच गया किन्तु वह नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसके पैर में सूजन आ जाया करती थी। इन हालात से तंग आकर यासीन को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा किन्तु वह इतना नहीं कमा पाता कि अपने परिवार को दो वक्त भोजन देने में सक्षम हो जाता। बच्चों की शिक्षा की ओर सोचना तो दूर रहा उसकी पत्नी जैतून बेगम ने भी सोचा कि अब इस पहाड़ जैसे जीवन को गुजारने एवं दो वक्त का भोजन चैन से प्राप्त करने के लिए एवं बच्चों के भविष्य के लिए उसे भी अब कुछ करना है।

अगस्त 1978 की बात है कि शासन द्वारा ग्रामीणों को सूखा का सामना करने के लिए राहतकार्य तेजी से चलाया जा रहा था। उनके ग्राम में ए. डी. ओ. कृषि श्री राधेश्याम तिवारी का भ्रमण हुआ। अनायास यासीन की भेंट उनसे हुई। यासीन की पत्नी जैतून बेगम तो पहले ही स्वयं को व्यस्तकर अपनी आय बढ़ाने की बात का निश्चिय कर चुकी थी। ए. डी ओ. साहब ने उसे सरकार की योजना बतायी और उसकी इच्छा एवं रुचि के आधार पर ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत सिलाई प्रशिक्षण लेने को प्रेरित किया। चार माह का सफल प्रशिक्षण लेने के पश्चात् जैतून बेगम ने अपनी चतुरता, कौशल एवं लगन से सिलाई कार्य में अच्छी दक्षता प्राप्त कर ली और विकास खण्ड कार्यकर्ताओं के सहयोग से उसे जनवरी 1980 में सी. बी. आई. से 2500 रुपये ऋण उपलब्ध हुआ जिससे उसने ऊषा सिलाई मशीन एवं अन्य उपकरण खरीदे। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 833 रुपये अनुदान भी उपलब्ध हुआ। अब क्या था जैतून बेगम ने अपने घर पर ही दर्जीगीरी का कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। थोड़ा समय बीतने पर उसकी दैनिक आमदनी 10 रुपये से 12 रुपये प्रतिदिन तक होने लगी। इधर जैतून बेगम ने बैंक की नियमित किश्तों को अदा करते हुए कुछ पैसा बचाकर कपड़ा खरीदा। अब वह कपड़े सी-सी कर अपने पति को अछल्दा बाजार में बेचने के लिए भेजने लगी। साथ ही इस बात को उत्साहित किया कि पैठ के दिनों के अतिरिक्त निकटवर्ती गांव में फेरी करने लगे। इस प्रकार 15 रु. से 17 रु. प्रतिदिन उसकी और आय बढ़ी। उसके वृद्ध ससुर ने भी उसके कार्य में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। इस प्रकार जैतून बेगम अपने परिवार को दोनों समय भोजन उपलब्ध कराने में पूर्ण सक्षम हो गयी।

उन्होंने अपने कर्जे में भी इस समय तक 1650 रु. मय ब्याज के अदा कर दिया। उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार हुआ जबकि बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा का भार भी वे अपनी दयनीय दशा में उठाने में असमर्थ थे। अपने लड़के एवं लड़कियों को शिक्षा दिलाने की ओर सजग हुई।

जैतून बेगम ने विकास अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देने हेतु कक्षा चलाई, गत सत्र में उन्होंने 6 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जो कि अपने परिवार की आय बढ़ाने में सहायक हो रही हैं। इस प्रकार जैतून बेगम ने अपने परिवार का उद्धार ही नहीं किया बल्कि अन्य महिलाओं ने भी इनसे प्रेरणा ली।

जैतून बेगम का विश्वास है कि महिलाएं स्वयं को व्यस्त कर अपने परिवार की आय वृद्धि करने में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हो सकती हैं और अपने परिवार को अतिरिक्त आय देकर अपना एवं अपने बच्चों का रहन-सहन एवं शिक्षा का स्तर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। □

अधिक दूध के लिए संकर प्रजनन

डा० देवनारायण पाण्डेय

वैसे तो भारतवर्ष की पशु संख्या अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है किन्तु दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से हम अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी इनसे नहीं कर पाते। खेती करने के वैज्ञानिक ढंगों को अपना कर हम खाद्यान्न के मामले में तो लगभग आत्म निर्भर हो चले हैं किन्तु दूध एवं दुग्ध-जन्य पदार्थों की आज भी हमारे देश में विशेष कमी है। देश के पशुपालन वैज्ञानिक अनेक वर्षों से इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने इसका कोई सही हल नहीं निकाला है। भारतवर्ष में पिछले दो दशकों में प्रयोगात्मक रूप से कई सरकारी तथा निजी डेयरी फार्मों पर दुग्धोत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संकर प्रजनन के अनेक प्रयोग हुए हैं किन्तु अभी तक आशातीत सफलता न मिल सकी है। विभिन्न प्रदेशों में राज्य सरकारों के पशुपालन विभागों द्वारा अच्छी नस्ल के उन्नत सांडों द्वारा देशी गायों का प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रजनन इस क्षेत्र में एक सराहनीय कदम रहा है किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण इससे भी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो सकी। बाद में यह सोचा गया कि क्यों न विदेशी नस्ल के अच्छे सांडों से हम अपनी गायों को गर्भित कराएं। फलतः देश के कई क्षेत्रों में विदेशी नस्ल के सांडों का वीर्य मंगवाकर गायों को गर्भित करने की योजना चलाई गई। इसमें जर्सी तथा फ्रीजियन नस्ल के विदेशी पशु हमारे लिए कुछ अच्छे सिद्ध हुए। अमेरिका तथा अन्य देशों से भेंट स्वरूप भी हमें कुछ विदेशी सांड तथा बछिया प्राप्त हुई और इनसे आज भी कई स्थानों पर संकरण का कार्य प्रगति पर है। कुछ स्थानों पर वीर्य-कोषों की स्थापना भी हो चुकी है जहां इन सांडों का वीर्य एकत्रित करके कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर भेजा जाता है और यहां लोग अपने पशुओं को लाकर कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं का लाभ उठाते हैं।

दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से साहीवाल देश की सर्वोत्तम दुधारु नस्ल है किन्तु खेद है कि हमारे देश में इसका धीरे-धीरे लोप होता जा रहा है। साहीवाल नस्ल की अच्छी गाय अथवा बछिया किसी भी मूल्य पर जनता को आज देश में उपलब्ध नहीं है। कुछ इने-गिने सरकारी तथा निजी फार्मों पर ही इस नस्ल के पशु रखे गए हैं और इनके विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। भारतवर्ष में अब सीमित संख्या में अच्छे दुधारु पशुओं की जरूरत है। बढ़ती हुई जनसंख्या और चरागाहों के अभाव के कारण अब हम अधिक संख्या में पशु नहीं पाल सकते। अतः प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी स्थानीय उत्तम नस्ल की गायों का ही अच्छे विदेशी नस्ल के सांडों से प्रजनन कराकर अधिक से अधिक दूध देने वाली पीढ़ी तैयार कर सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की दुग्धशाला में साहीवाल नस्ल की गायों को फ्रीजियन नस्ल के विदेशी सांडों से गर्भित कराकर संकर प्रजनन के कुछ अनुभूत प्रयोग किए गए।

अब से लगभग 6-7 वर्ष पूर्व काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री रमेश चन्द्र प्रसाद सिन्हा से भेंट स्वरूप 5-6 माह की आयु का एक फ्रीजियन नस्ल का बहुत ही कमजोर बछड़ा हमें प्राप्त हुआ। बछड़ा इतना कमजोर था कि उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। किसी प्रकार दवा-दारू करके उसकी प्राण रक्षा की गई। बाद में उसको व्यक्तिगत रूप से खिलाकर पाला-पोसा और उसका नाम 'शेरु' रखा। एक डेढ़ वर्ष बाद शेरु अपने निखार पर आ गया और ढाई-तीन वर्ष में चमकते हुए विशुद्ध काले रंग का शेरु, शेर के समान दहाड़ने लगा। उसकी चिंघाड़ने की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग तमाशा देखने के लिए आने लगे और शेरु सब के लिए एक आकर्षण बन गया। मकुना हाथी के समान मतवाली वेष-भूषा वाला डरावनी शक्ल का शेरु वास्तव में आज शेर के समान है और केवल एक ही परिचारक 'जगरदेव' की बात मानता है। विश्वविद्यालय के शिलान्यास दिवस के उपलक्ष में आयोजित झांकी प्रतियोगिता में कृषि संकाय की झांकी के साथ शेरु बीस हजार की भीड़ में लोगों का प्रमुख केन्द्र बिन्दु रहा और 500 रु० के प्रथम पुरस्कार के साथ अपनी झांकी का विजेता घोषित हुआ।

प्राकृतिक ढंग से मैथुन कराके इससे डेयरी की अनेक साहीवाल गायों को गर्भित कराया गया। पिछले चार-पांच वर्षों में शेरु बहुत सी गायों को गर्भित कर चुका है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की दुग्धशाला में आज इसकी अनेक बछियां तैयार हैं जो अपने वाह्य रूप में शेरु से मिलती-जुलती होकर रंग में लाल तथा काली या दोनों का मिश्रण लिए हुए हैं।

साहीवाल नस्ल की गाय तथा फ्रीजियन नस्ल के इस सांड से जो बछिया उत्पन्न हुई उसे पुनः इसी सांड से गर्भित कराया गया। ऐसी संकर बछिया सबसे पहले 17 माह की आयु पर गर्भित हुई और उसने सवा दो वर्ष की आयु पर पहला बच्चा दिया। इस बछिया की मां साहीवाल नस्ल की गाय है जो आज भी औसतन 6-7 लीटर दूध देती है। इस बछिया का औसत दुग्धोत्पादन 10-12 लीटर के मध्य रहा।

शेरु अब तक दो दर्जन से अधिक बछियों को गर्भित कर चुका है। इनका औसत दुग्ध उत्पादन साहीवाल नस्ल की तुलना में डेढ़ गुना अधिक है। इसके सभी बच्चे देखने में बड़े हृष्ट-पुष्ट तथा रोचक हैं। इन सबको केवल वही चारा दाना दिया जाता है जो डेरी के अन्य पशुओं को मिलता है। इनका रख-रखाव तथा देख-भाल का सारा तरीका भी अन्य पशुओं की भांति ही है। इन पशुओं को अलग न रखकर दुग्धशाला के अन्य पशुओं के साथ ही रखा गया है। अलग से इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

आशा है इस प्रकार के संकर-प्रजनन से दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि होकर श्वेत-क्रांति के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ेगा। □

ग्रामीण युवकों के रोजगार की समस्या का समाधान

ट्राइसेम

केवल कृष्ण चौपड़ा

भारत वर्ष में बेरोजगारी तथा अर्द्ध-बेरोजगारी की जटिल समस्या है, जिससे 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन के लिए विवश होना पड़ रहा है। अभी तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गयी हैं तथा ग्राम्य विकास हेतु कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, उनमें आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं अपनाया गया जिससे तीस वर्षों के नियोजित प्रयासों के बावजूद भी अमीर तथा गरीब व्यक्तियों में अन्तर बढ़ता ही गया और हमारे नियोजकों को विवश होकर नियोजन की इस पद्धति का सहारा लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जिससे सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धनतम परिवारों के उत्थान के लिए कार्यक्रम वर्ष 1978-79 का प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया है। 2 अक्तूबर 1980 को इस कार्यक्रम का विस्तार भारत वर्ष के सम्पूर्ण 5008 विकास खण्डों में लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के भी सम्पूर्ण 885 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं :—

1—इस कार्यक्रम के माध्यम से विकास खण्डों में चयनित परिवारों को सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी, जिससे वे परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें।

2—इस कार्यक्रम में अन्त्योदय के सिद्धांत को अपनाया जाएगा अर्थात् आर्थिक दृष्टि से निर्धनतम परिवार को सहायता दी जाएगी।

3—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले परिवारों का अनुश्रवण किया जाएगा, जब तक वे गरीबी की रेखा से ऊपर न उठ जाएं।

4—इस कार्यक्रम में चयनित परिवार के उत्थान के लिए न सिर्फ कोई एक योजना ही अपनाई जाएगी, बल्कि विभिन्न प्रकार के "पैकेज आफ एसिस्टैन्स" सहायता पुञ्ज द्वारा उन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अतर्गत परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन योजनाएं ही ली जाएंगी, जिनके माध्यम से परिवारों की आय इतनी की जा सके कि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। ये योजनाएं आर्थिक दृष्टि से सक्षम होनी चाहिए तथा चयन एवं क्रियान्वयन में विकास खण्डों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह आर्थिक विकास का कार्यक्रम बहुत ही लचीली प्रकृति का है और इसके अन्तर्गत चयनित परिवारों को निम्नांकित में से कोई एक या कई कार्यक्रम उपलब्ध करवाए जा सकते हैं और निर्धारित 3000 रुपये की अनुदान की धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

1—व्यक्तिगत अल्प सिंचाई कार्यक्रम।

2—सामुदायिक सिंचाई कार्यक्रम।

3—कृषि यंत्रों का अनुदान/अन्य कृषि निवेशों पर अनुदान।

4—बुखारी वितरण।

5—भूमि विकास /भूमि संरक्षण।

6—डेयरी विकास/दुधारु पशुओं का वितरण।

7—संकर बछियों के चारे पर अनुदान।

8—भेड़/बकरी, कुक्कुट-सूकर इकाइयों की स्थापना।

9—मत्स्य पालन।

10—उद्यान कार्यक्रम।

11—सेरीकल्चर [रेशम उत्पादन]

12—कस्टम सर्विस केन्द्रों की स्थापना।

13—नवीकरण।

14—ग्रामीण उद्योग/व्यवसाय/सेवाओं का कार्यक्रम।

वर्तमान समय में भारत वर्ष में 3260 लाख हेक्टयर क्षेत्र में से 1400 लाख हेक्टेयर कृषि के अन्तर्गत है जो कुल क्षेत्र का 43 प्रतिशत है। इतना ही नहीं 50 प्रतिशत से अधिक जो एक हेक्टेयर से कम है। इसलिए आवश्यक है कि कृषि पर जनसंख्या का भार कम कर मिश्रित खेती अथवा ग्रामीण/घरेलू उद्योगों की ओर परिवारों-को आकृष्ट किया जाए तथा चयनित परिवारों को स्वतः रोजगार अपनाने के लिए, उनके युवक/युवतियों के लिए एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी योजना को ट्राइसेम योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के 19 से 33 वर्ष की आयु के युवक/युवतियों को प्रशिक्षण द्वारा अपना निजी रोजगार शुरु करने के लिए तैयार किया जाता है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

1—इसके माध्यम से कोई नई संस्था का सृजन नहीं किया जाएगा, बल्कि उपलब्ध संस्थाओं का प्रशिक्षण के लिए उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत सभी राजकीय/अराजकीय संस्थाएं, जो प्रशिक्षण के लिए सक्षम हैं, चुनी जाएंगी।

2—इसके माध्यम से उपलब्ध संस्थाओं के अवस्थापना को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अन्तर्गत छात्रावास व्यवस्था,

अध्ययन कक्षा तथा प्रशिक्षण उपकरण आदि जुटाए जाएंगे ।

3—इसके माध्यम से स्वतः रोजगार के लिए युवक/युवतियां प्रशिक्षित होंगी, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग कर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवक/युवतियों में ट्रेड के सम्बन्ध में व्यावहारिक दक्षता आ सके और नौकरी के लिए केवल प्रमाण पत्र ही साबित न हो।

4—इसके माध्यम से प्रशिक्षण के उपरांत भी युवक/युवतियों को स्वतः रोजगार में स्थापित होने के लिए आवश्यक सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अन्तर्गत, प्रशिक्षण संस्थाओं, ऋण उपलब्ध करने वाली संस्थाओं, कच्चामाल तथा निर्मित सामान की बिक्री की व्यवस्था तथा, युवकों के चयन से उनके स्थापित होने तक एक दूसरे के साथ मिल कर कार्य करेंगी।

5—इसके माध्यम से केवल उन्हीं ट्रेडों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिनकी स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों तथा उनकी खपत हो सके।

6—इसके माध्यम से गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के युवक सदस्यों को लाभान्वित किया जाएगा ।

7—इसके माध्यम से प्रत्येक युवक/युवती को प्रशिक्षण अवधि में 100 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति तथा 50 रुपये प्रतिमाह प्रशिक्षण व्यय, संस्था को दिया जाएगा।

8—इसके माध्यम से सभी कार्यक्रमों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा ।

1–युवक/युवतियों का चुनाव

ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के युवक/युवतियों, जिनकी आयु 19 से 35 वर्ष के बीच हो चयनित किए जाएंगे। प्रत्येक विकास खण्ड में प्रतिवर्ष 600 परिवारों को एकीकृत विकास योजना से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। परिवार की वार्षिक आय सभी श्रोतों से 3500 रुपये के अन्दर ही होनी चाहिए । परिवार स्थायी रूप से ग्राम में रहते हों । इस श्रेणी में निम्न वर्ग के परिवारों के युवक/युवतियों को चुना जाएगा ।

1—छोटे कृषक ।
2—सीमान्त कृषक।
3—खेतिहर मजदूर ।
4—अकृषक मजदूर ।
5—ग्रामीण दस्तकार ।

विकास खण्ड स्तर पर युवक/युवतियों को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु एक कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। इस चयन कमेटी में निम्नांकित सदस्य होंगे :—

1—खण्ड विकास अधिकारी ।
2—प्रशिक्षण संस्था का प्रतिनिधि ।
3—उद्योग केन्द्र का प्रतिनिधि ।
4—ऋण देने वाली संस्था का प्रतिनिधि ।
5—जिला विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि ।

विकास खण्ड पर चयनित परिवारों के युवक/युवतियों की ट्रेडों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए चुने गए युवकों की सूची उपलब्ध रहेगी जिसको खण्ड विकास अधिकारी निर्धारित रूप पत्र पर युवक/युवती से प्रार्थना पत्र प्रशिक्षण हेतु पूर्ण करवाकर, अपने कार्यालय में रखेंगे तथा जिला स्तर पर विभिन्न ट्रेडों की सूची उपलब्ध करवाएंगे। जिला स्तर से प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के नाम तथा प्रशिक्षण आरम्भ होने की तिथि की सूचना प्राप्त होने पर, खण्ड विकास अधिकारी अपने कार्यालय से सम्बन्धित युवक/युवतियों को सूचित करेंगे। चयन समिति में युवक/युवतियों का चुनाव करते समय निम्नांकित बातों पर ध्यान देना चाहिए :—

1—युवक/युवती गांव के निर्धनतम परिवार से सम्बन्धित हो ।

2—एक परिवार से एक युवक/युवती का चुनाव किया जाएगा ।

3—जनजाति/अनुसूचित जाति के परिवार को वरीयता दी जाएगी।

4—जिन गांवों के युवक/युवतियों को ग्रामोत्थान केन्द्र (Growth Centre) समीप होगा उनको वरीयता दी जाएगी।

5—चुनाव के लिए कलस्टर एप्रो सामूहिक पहुंच को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसके एक श्रेणी के शिल्पकारों को समूह में लाभान्वित किया जा सके ।

6—युवक/युवती की रुचि तथा नेतृत्व की भावना एवं कठिन परिश्रम करने वाले युवकों को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाएगा ।

खण्ड विकास अधिकारी यदि आवश्यक समझे तथा युवक/युवती के कार्यों के प्रति रुचि तथा लगाव के लिए मनोवैज्ञानिक टैस्ट साधारण सूचनाएं प्राप्त करके ज्ञात कर सकते हैं ।

2–युवक/युवती के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का चयन :—

गांव में इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सम्बन्धित संस्थाओं के माध्यम से संचालित करवाया जाएगा ।

1–कृषि या उस पर आधारित व्यवसाय :—

(अ) पशु चिकित्सा ।
(ब) कृत्रिम गर्भाधान ।
(स) बीज उत्पादन ।
(द) वन एवं उद्यान की नर्सरी ।
(य) कृषि रक्षा एवं अन्न भण्डारण ।

2–लघु उद्योग :—

(अ) बेकरी ।
(ब) बटाई व बुनाई ।
(स) काष्ठकला तथा फर्नीचर बनाना ।
(द) लोह कला तथा टिन स्मिथी ।
(य) माचिस बनाना ।
(र) गलीचा बुनना ।
(ल) साबुन बनाना ।

3–सर्विस सैक्टर :—

(अ) ट्रेक्टर व फार्म मैकेनिक ।
(ब) आटोमकैनिक।
(स) ग्रामीण विद्युतीकरण ।
(द) सिलाई ।
(य) वैल्डिंग ।
(र) ट्रांजिस्टर मरम्मत ।

3–ट्राइसेम हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं का चयनः—

इस योजना में युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में विद्यमान संस्थाओं से सम्बन्ध कर प्रशिक्षित

किया जाएगा। ये संस्थाएं राजकीय अथवा अराजकीय हो सकती हैं। इस समय प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित इन संस्थाओं की सूची प्रत्येक जनपद को तैयार कर लेनी चाहिए तथा उन संस्थाओं के व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की क्षमता को देखते हुए जनपद को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् युवक/युवतियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। कुछ स्थानीय संस्थाओं को जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं को उपलब्ध करवाने में अग्रणीय तथा उच्चकोटि की हों, उन्हें भी मान्यता देकर प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं एवं उनके मास्टर क्राफ्ट मैन को प्रशिक्षण देने के लिए चुना जा सकता है। विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के लिए निम्नांकित संस्थाओं का प्रयोग किया जा सकता है :—

1—प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र ।
2—कृषक प्रशिक्षण केन्द्र ।
3—कृषि विश्वविद्यालय ।
4—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ।
5—पोलिटेकनिक ।
6—स्वैच्छिक संस्थाएं ।
7—मास्टर क्राफ्टमैन ।
8—के०वी०आई०सी० के प्रशिक्षण केन्द्र ।
9—कृषि विज्ञान केन्द्र ।
10—कृषि/उद्यान/वन/पशुपालन के उत्पादन फार्म ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संस्थाओं में प्रशिक्षण के निमित्त छात्रावास, क्लास रूम एवं उपकरणों की व्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय को 100 प्रतिशत तथा अन्य राजकीय संस्थाओं को खर्च का 50 प्रतिशत संरचना आधार के लिए देने का प्रावधान है। वह मांग निर्धारित रूप पत्र पर संस्था द्वारा भर कर, राज्य स्तर की आई० आर० डी० की समिति की संस्तुति के साथ केन्द्र सरकार को अग्रसारित की जाएगी, केन्द्र से धन उपलब्ध होने पर, संस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि में 50 प्रतिशत जोड़ कर उपलब्ध करवाई जाएगी।

4–सहायता

जिन संस्थाओं को जनपदीय समिति द्वारा चुना जाएगा, ट्रेड में प्रशिक्षार्थियों/युवकों की संख्या के आधार पर 50 रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह प्रशिक्षण व्यय के रूप में दिया जाएगा। इस धनराशि का अधिकांश भाग संस्था द्वारा प्रशिक्षण को व्यावहारिक बनाने तथा कच्चा माल क्रय करने के लिए व्यय किया जाएगा। 20 प्रतिशत धनराशि प्रशिक्षकों को मानदेय तथा विविध प्रशिक्षण व्यय के रूप में व्यय में लाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा मास्टर कारीगर को पूरे सत्र की अवधि के लिए 100 रुपये प्रति युवक देने का भी प्रावधान है। वह धनराशि सभी संस्थाओं को भी देय होनी चाहिए, जिससे संस्था द्वारा चुना उपकरण तथा प्रशिक्षण सामग्री खरीदी जा सके।

प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक संस्था को प्रत्येक प्रशिक्षार्थी लाभार्थी के सफल प्रशिक्षण उपरान्त 50 रुपये की दर से प्रोत्साहन के रूप में भी देय है जिससे आगामी सत्रों में रुचि लेकर, युवकों को प्रशिक्षित किया जा सके।

प्रत्येक युवक को भी प्रशिक्षण अवधि में 100 रुपये प्रति माह छात्र वृत्ति दी जाती है। यदि युवक अपने गांव में ही रहकर किसी कारीगर संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो उस अवस्था में, प्रत्येक युवक को 50 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।

स्वतः रोजगार शुरू करने वाले युवक को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अनुदान तरीके के अनुसार अधिकतम 300 रुपये की अनुदान धनराशि देय होनी चाहिए जो योजना व्यय का 33⅓ प्रतिशत होगा।

5–प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण पद्धति

प्रशिक्षण देने वाली संस्था द्वारा पाठ्यक्रम के निर्धारण के साथ-साथ अवधि निश्चित की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम का अनुमोदन जिला समिति द्वारा हो तथा प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि में ही योजना को बैंक अधिकारी तथा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा युवक से सम्पर्क कर उसकी योजना तैयार की जाए। प्रशिक्षार्थी को हाथ से काम करने का अवसर प्रशिक्षण अवधि में दिया जाए। प्रशिक्षण अवधि में ही विपणन संस्था की भी व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण में अनावश्यक सैद्धान्तिक जानकारी न दी जाए तथा युवक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए।

6 स्वरोजगार के लिए कदम

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षण के बाद युवक गांव में ही अपना रोजगार शुरू करें। इसलिए प्रशिक्षण अवधि में ही युवक को यह निश्चय करना होगा कि उसे अपना रोजगार कहां शुरू करना है, उसके लिए कितनी धनराशि आवश्यक होगी, कितनी धनराशि ऋण के रूप में उसे लेनी होगी, कितनी धनराशि अनुदान के रूप में रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगी। कच्चे माल की व्यवस्था कैसे होगी तथा बने हुए सामान की बिक्री की क्या व्यवस्था होगी। इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए, खण्ड विकास अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र तथा ऋण देने वाली संस्था एवं प्रशिक्षण देने वाली संस्था को, प्रत्येक युवक को योजना तैयार करनी होगी। योजना की पूर्ति के लिए ऋण हेतु बैंकों को प्रार्थना पत्र भी प्रशिक्षण अवधि में प्रस्तुत करना होगा और ऋण स्वीकृति के बाद खण्ड विकास अधिकारी परियोजना अधिकारी को अनुदान की धनराशि भी स्वीकृत कर बैंक को स्थानान्तरित करनी होगी। जिससे प्रशिक्षण की समाप्ति पर युवक शीघ्र अपना रोजगार शुरू कर सके। युवक/युवती को यह अनुदान आई० आर० डी० के तरीके पर दिया जाता है। कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में कुल व्यय का 25 प्रतिशत छोटे कृषकों और 33प्रतिशत सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों को देय है। सामान्यतः एक परिवार को कुल मिलाकर 3000 रुपये तक अनुदान दिया जाता है। दस्तकारों, कुटीर व लघु उद्योगों में अन्य छोटे व्यवसायों में कुल खर्चे का 33⅓ प्रतिशत अनुदान देय होता है लेकिन अनुदान की धनराशि 1500 रुपये तक देय है। यह धनराशि बढ़ाकर 3000 रुपये करने की आवश्यकता है, जिससे युवक/युवती अच्छी तरह से अपने रोजगार में स्थापित हो सकें।

इस योजना का उद्देश्य युवकों को अपने रोजगार में स्थापित कर देने से ही पूर्ण नहीं हो जाता। खण्ड विकास अधिकारी को युवक के रोजगार की प्रगति की समीक्षा करते रहने की निरन्तर आवश्यकता होगी। आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत निर्धारित परिवार कार्ड जिसकी प्रतिलिपि विकास खण्ड तथा युवक के पास भी रखी जाएगी, उसमें प्रगति निरन्तर भरी जाएगी। यद्यपि युवक को अपना

(शेष पृष्ठ 20 पर)

कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक कृषि विज्ञान केन्द्र का निरीक्षण करते हुए ।

कृषि विज्ञान केन्द्र : व्यावहारिक प्रशिक्षण में एक नया प्रयास

✲ डा० एन० पी० सिंह ✲

कृषि विज्ञान जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके अनुरूप अपने को ढालने के लिए किसानों को खेती की नई तकनीक की जानकारी देना आवश्यक है। आज की कृषि टैक्नोलाजी इतनी पेचीदा और कठिन है कि उसको अमल में लाने के लिए बड़ी सूझ-बूझ और नई जानकारी की जरूरत है। साथ ही सावधानी भी उतनी ही बरतनी पड़नी है। थोड़ी सी असावधानी अथवा गलती से किसानों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है।

केन्द्र तथा राज्य सरकार के द्वारा कई कदम किसानों के प्रशिक्षण के लिए उठाए गए। लेकिन अब तक खोले गए जितने प्रशिक्षण केन्द्र थे, उनमें कुछ कमियां थीं, जिसके कारण वे उतने कारगर सिद्ध नहीं हो सके। ये कमियां थीं—प्रशिक्षण का माध्यम लेक्चर अथवा भाषण पर आधारित होना तथा शिक्षा का दायरा कमरे तक ही सीमित रहना, व्यावहारिक शिक्षा का अभाव, किसानों का प्रशिक्षण उनके तुरंत एवं जरुरत के आधार पर नहीं होना, कृषि प्रशिक्षण केन्द्र का कोई लगाव किसी दूसरे शैक्षिक संस्थान से नहीं होना एवं व्यावहारिक ट्रेनिंग के लिए स्थान का अभाव का होना इत्यादि। इन कारणों से किसानों को सही तकनीक की जनकारी नहीं मिल सकी और न स्थायी प्रभाव पड़ सका, क्योंकि ज्यादा ध्यान किताबी चीजों पर दिया गया और व्यावहारिक शिक्षा का अभाव रहा। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारत के विभिन्न राज्यों में की। सबसे पहला केन्द्र 1974 में पाण्डिचेरी में तामिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बत्तूर की देखरेख में खोला गया।

इन केन्द्रों पर प्रशिक्षण का माध्यम "करो और सिखाओ' (teaching by doing) तथा "करो और सीखो" (learning by doing) के आधार पर होता है। इस तरह के प्रशिक्षण में व्यावहारिक ज्ञान का समावेश काफी हद तक है। यानी प्रशिक्षण और शिक्षा देने की विशेष प्रणाली काम के अनुभव के माध्यम से है। इन केन्द्रों में 80 प्रतिशत शिक्षा व्यावहारिक प्रशिक्षण द्वारा दी जाती है तथा 20 प्रतिशत समय कमरे के पाठ्यक्रम में व्यतीत होता है। शिक्षण का पाठ्यक्रम किसानों की जरूरत के आधार पर होता है। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रशिक्षक, केन्द्र के आस-पास के गांव का सर्वेक्षण करते हैं जिससे वे किसानों की रुचि एवं प्रशिक्षण के स्रोत का पता लगाते हैं, जिसमें उन्हें शिक्षा की आवश्यकता होती है।

प्रशिक्षण का काम बड़े सुयोग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षक के द्वारा किया जाता है। इनके अलावा, कुछ ऐसे किसानों को भी प्रशिक्षण

के [illegible] जाता है, जिन्हें खेती-बाड़ी का काफी लम्बा अनुभव होता है तथा जिन्हें नए एवं सुधरे तरीके से खेती करने का ज्ञान होता है। इन केन्द्रों पर प्रशिक्षण खेत और कार्यशाला से चलकर विचार-विमर्श की गोष्ठियों तक पहुंचाया जाता है। प्रशिक्षण खासकर ग्रामीण युवा वर्ग, खेती-बाड़ी में लगे किसान, ग्रामीण महिलाओं तथा पिछड़ी जाति के लोग जो इस तरह की सुविधा से वंचित हैं, उन्हें दिया जाता है। प्रत्येक केन्द्र पर किसानों के ठहरने के लिए छात्रावास का उत्तम प्रबन्ध होता है। प्रशिक्षण के दौरान केन्द्र द्वारा किसानों को मुफ्त भोजन भी दिया जाता है ताकि गरीब से गरीब किसान भी इन केन्द्रों पर आकर शिक्षण पा सके। प्रशिक्षण की अवधि अल्पकालीन एवं दीर्घ-कालीन दोनों होती है। केन्द्र पर एक सप्ताह से लेकर तीन माह तक का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रशिक्षण का कार्यक्रम केन्द्र के अलावा, गांवों में भी किसानों के खेतों पर चलाया जाता है। किसानों को जो चीज सिखाई जाती है, उसे उन्हें बार-बार अपने हाथ से करने का मौका दिया जाता है, ताकि वे उस क्षेत्र में निपुण एवं दक्ष हों और उसे अपने खेतों में आत्म-विश्वास के साथ कारगर तरीके से अपना सकें। आज तक कुल मिलाकर सारे देश में 31 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है जिनकी सूची निम्न तालिका में दी गई है।

क्रम सं०	राज्य का नाम	कृ० वि० के० की संख्या	स्थान
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	1	रामनाथपुरम, हैदराबाद-500091
2	असम	1	नापम, जिला तेजपुर, असम कृषि विश्वविद्यालय असम।
3	अरुणाचल प्रदेश	1	एन० इ० एच० अनुसंधान काम्प्लेक्स, बसर, जिला-सेंग।
4	बिहार	3	(क) रामकृष्ण मिशन रांची, मोरावादी (बिहार)। (ख) ग्राम निर्माण मण्डल, सेखोदौरा, नवादा। (ग) कृषि फार्म, शंकर पुर (मुंगेर)।
5.	गुजरात	2	(क) दीसा, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जिला बांसकंथा। (ख) रनप्रेजा, जिला गांधीनगर, अहमदाबाद।
6.	हरियाणा	1	करनाल (राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान)
7.	कर्नाटक	2	(क) हनुमान मट्टी, धरवार। (ख) चेथाली, जिला नोर्थ कोडगू।
8.	केरल	2	(क) प्रावन कलचर-फार्म, नरकल। (ख) मित्रानिकेतन, पो०-मेलानन्द, त्रिवेन्द्रम।
9.	मध्य प्रदेश	2	(क) राष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबा-ग्राम, इन्दौर। (ख) केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल।
10.	महाराष्ट्र	2	(क) कोसवाद हील, जि० थाना। (ख) सेलसुरा, जि०-वर्धा।
11.	मणिपुर	1	मणिपुर सेन्टर, इम्फाल।
12.	मेघालय	1	तूरा, गारो हील।
13.	मिजोरम	1	कोलासिब, मिजोरम।
14.	नागालैण्ड	1	एन० ई० एस० रीजन, झरना, पानी, नागालैण्ड।
15.	उड़ीसा	1	धौली, भुवनेश्वर।
16.	पाण्डिचेरी	1	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी 605010
17.	राजस्थान	1	फतेहपुर सेखावती, जिला सीकर।
18.	तमिलनाडु	2	(क) जबलपुर, कुटापट्टू, जिला-त्रिचुरापल्ली। (ख) विवेकानन्द पुरम, कोयम्बतूर।
19.	त्रिपुरा	1	रामकृष्ण सेवा केन्द्र छेबरी, खोवाय।
20.	उत्तर प्रदेश	1	कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुलतानपुर।
21.	पश्चिम बंगाल	3	(क) सेवा भारती, कसगारी, जिला मिदनापुर। (ख) श्रीराम कृष्ण आश्रम, नीमपीठ, 24, परगना। (ग) 24 परगना, काकद्वीप-743347
	कुल संख्या-31		

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सात प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले हैं, जहां पर कि कृ० वि० केन्द्र के प्रशिक्षकों को उनके जरुरत के आधार पर व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षण देने के तरीके की भी विशेष जानकारी दी जाती है जिससे वे उन्नत कृषि तकनीकी ज्ञान को किसान तक सुगम तथा सरल तरीके से पहुंचा सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम:—कृषि विज्ञान केन्द्र पर सस्यविज्ञान, बागवानी, कृषि इंजीनियरिंग, पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन, बकरी व भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, गृह विज्ञान तथा कृषि विस्तार सेवा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी दी जाती है। सस्य-विज्ञान के अन्तर्गत मुख्य फसलों जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि की खेती करने के उन्नत तरीकों के बारे में बताया जाता है और क्रियात्मक जानकारी दी जाती है। बहुफसली कार्यक्रम भी इस विषय का एक मुख्य अंग है। उर्वरक देने की विधि, कीट व्याधियों के नियंत्रण के तरीके को 'करो और सीखो' के आधार पर बताया जाता है। बागवानी के क्षेत्र में इसके फूल और फलों के पौधे उगाने तथा सीधी रोपाई करने, कलम लगाने, कलमों से बडिंग बनाने आदि विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कृषि इंजीनियरिंग में सिंचाई के विभिन्न पम्पों को चलाना, मरम्मत एवं देख-भाल, ट्रैक्टर चलाना, दवाई छिड़कने वाले यंत्र (स्प्रेयर) आदि के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

गृह विज्ञान के अन्तर्गत व्यावहारिक पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कुछ विशेष विषय ये हैं:— प्रमुख खाद्यानों का भण्डारण, पौष्टिक भोजन के लिए अंकुरित दानों का इस्तेमाल करना, उर्वरकों का प्रयोग खास कर बुआई से पहले और खड़ी फसल में खाद देना, व्यक्तिगत सफाई, बच्चों का सही पालन-पोषण सिलाई-बुनाई, थैला बनाना, पशुओं की देख-भाल, तथा चारा तैयार करना आदि।

पिछले साल यानी सन् 1980-81 के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा 30,238 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रसिद्धि तो मिली, साथ-साथ काफी संख्या में किसान इन केन्द्रों पर प्रशिक्षण के लिए आने लगे हैं। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी है कि प्रत्येक राज्य में नए केन्द्र खोलने के आग्रह भी काफी संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। इन केन्द्रों पर प्रशिक्षण लेने के बाद कई ग्रामीण युवकों को स्वावलम्बी बनने का मौका मिला तथा वे अपनी जीविका चलाने में स्वतः समर्थ हो गए हैं। बैंक के द्वारा उन किसानों को भी ऋण आसानी से दिया जाता है जो यहां से प्रशिक्षण पा चुके हैं। इस तरह इस कार्यक्रम के द्वारा छोटे-छोटे किसानों की आर्थिक दशा में भी सुधार हुआ है और नए कृषि के तरीकों को अपनाने से उपज में भी वृद्धि हुई है। किसानों के प्रशिक्षण के बाद भी इस केन्द्र का सम्पर्क पुराने प्रशिक्षणार्थियों से बना रहता है ताकि बीच-बीच में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों का निदान किया जा सके। इस प्रकार के संस्थानों के महत्व और विषय को समझते हुए राष्ट्रीय कृषि आयोग (1971—73) ने यह सिफारिश की कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र अवश्य खुल जाए और सन् 2000 तक प्रत्येक जिले में 3 कृषि विज्ञान केन्द्र हो जाएं। सन् 1981-82 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कुछ और नए केन्द्र खोलने की योजना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय समिति (1980) ने भी कुछ चुने हुए पांच कृषि विज्ञान केन्द्रों का मूल्यांकन किया और उनके कार्य कलापों से काफी प्रभावित हुए तथा इनके कार्यक्रम को बड़ा ही उपयोगी बताया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की है कि देश में और भी जितने प्रशिक्षण चल रहे हैं उनका स्वरूप भी कृषि विज्ञान केन्द्र के आधार पर होना चाहिए। आशा है सरकार ऐसे लाभकारी कार्यक्रमों को और भी आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन देगी। □

ग्रामीण युवकों के रोजगार की समस्या का समाधान ✻ (पृष्ठ 17 का शेषांश)

रोजगार स्वयं चलाना है, फिर भी उसे कच्चा माल उपलब्ध करवाने, बने माल की बिक्री की जिम्मेदारी केन्द्रीय संस्थाओं को लेनी होगी, जिसके लिए ग्रामोत्थान केन्द्रों की स्थापना में मदद मिलेगी। खण्ड विकास अधिकारी को युवक की तब तक निरन्तर देख-भाल करनी है जब तक वह गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ जाता और उसका परिवार अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो जाता है।

प्रशिक्षण

इस योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व विकास खण्डों पर है। इसलिए यह आवश्यक है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को जिले पर बुला कर एक या दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाए तथा इस प्रशिक्षण में ट्राइसेम योजना के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत जानकारी दी जाए। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से योजना की आवश्यकता एवं उद्देश्य, लाभार्थियों का चयन, योजना का निर्माण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जाए। इस प्रशिक्षण में विभिन्न संस्थाओं जैसे डी० बैंक, डी० आई० सी०, मार्केटिंग, जिला विकास अभिकरण की भूमिका का भी विस्तृत विवरण दिया जाए। योजना के संचालन में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जो निर्देश जारी किए गए हैं, उन से भी कर्मचारियों को अवगत कराया जाए। यह प्रशिक्षण ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा आयोजित किया जा सकता है।

ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड 40 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दे कर स्वतः रोजगार में लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में प्रति वर्ष इस योजना के माध्यम से 2,00,000 युवक/युवतियों को अपने निजी व्यवसाय को स्थापित कर जीविका उपार्जन कर सकने तथा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिलेगी। अतः यह आवश्यक है कि हर स्तर पर इससे सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी लगन एवं निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें जिससे इस राष्ट्रीय महत्व की एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ट्राइसेम के माध्यम से ग्रामीण युवक/युवतियों को रोजगार की समस्या का समाधान सम्भव हो सके। □

उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्या :

भूमि सुधार बनाम भूलेख सुधार

अश्वनी कुमार पांचाल

देश के विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा समय-समय पर भूमि सुधार की बातें कही जाती हैं। शासन द्वारा संचालित योजनाओं में भूमि सुधार का जिक्र आता है। 'भूमि सुधार को कड़ाई से लागू किया जाएगा' 'भूमि सुधार की दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है' आदि वाक्य समय-समय पर देश के नेताओं के मुख से सुनने को मिलते हैं। तो सहसा एक प्रश्न सामने आता है 'भूमि सुधार क्या है?' इस प्रश्न पर चिन्तन करने पर ऐसा समझ में आता है कि ऊसर, कंकरीली-रेतीली, रिहाली और वायल आदि प्रकार की भूमियों का वैज्ञानिक ढंग से सुधार कर उन्हें उपजाऊ बनाया जाए। दूसरी बात यह भी समझ में आती है कि अधिक से अधिक असिंचित भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जाए। इन दोनों प्रकार के भूमि सुधारों में सरकार की योजनाओं द्वारा आशातीत सफलता मिल रही है जिसका जीता जागता प्रमाण अन्न के मामले में देश का आत्मनिर्भर होना है।

तीसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात भूमि व्यवस्था और भूलेखों में सुधारों की है। इस संबंध में देश की अनेक राज्य सरकारों के साथ उत्तर प्रदेश में भी जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी, छोटी जोतों से लगान की माफी, जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण और भूराजस्व अभिनवीकरण आदि प्रमुख योजनाएं चलाई गईं। जमींदारी उन्मूलन के अन्तर्गत किसान और सरकार के बीच सदियों से चले आ रहे बिचौलियों (जमींदारों) को हटाया गया। प्रदेश के किसान का सीधा संबंध सरकार से बना और भूस्वामित्व का अधिकार मिला। प्रदेश में चल रही भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत कृषकों की 21-22 श्रेणियां समाप्त कर खतौनी में केवल नौ श्रेणियां ही रखी गईं। भूमिधर, सीरदार, आसामी और आदिवासी केवल चार प्रकार के कृषक ही रखे गए। और अब सीरदारी को भी समाप्त कर भूमिधारी में ही विलीन कर दिया गया। जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन देश के विभिन्न प्रदेशों में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। मध्यवर्गियों के निकल जाने और कृषकों को भूस्वामित्व अधिकार मिलने से किसान का भूमि के प्रति प्रेम, ममत्व और श्रम की भावना बढ़ी, फलस्वरूप देश का कृषि उत्पादन बढ़ा है।

चकबंदी योजना ने बिखरे खेतों को इकट्ठा कर छोटे छोटे भू-खंडों में बंटी भूमि के बड़े बड़े चक बनाए जिससे किसान को खेती की जुताई, बुआई, सिंचाई, सुरक्षा और रखवाली में सुगमता मिली। यदि इस योजना को कुछ और अधिक कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जाता तो सचमुच ही प्रदेश में कृषि क्षेत्र में आशा से भी अधिक सुखद परिणाम सामने आते।

इन दोनों प्रमुख योजनाओं—जमींदारी उन्मूलन और चकबंदी के पूर्ण होने पर भी प्रदेश में भूमि व्यवस्था और भू-लेख संबंधी सुधारों की बहुत आवश्यकता रह गई है। कहना गलत न होगा कि प्रदेश में भूमि संबंधी विवादों का नब्बे प्रतिशत कारण भूमि व्यवस्था और भू-लेखों में त्रुटियों का होना है।

काम! प्रदेशीय सरकार इस ओर ध्यान देने का कष्ट करें।

भूमि का स्वामित्व

जमींदारी उन्मूलन में सरकार ने घोषणा की थी कि हल के पैमाने से भूमि नापी जाएगी। हल चलाने वाले को ही भू-स्वामित्व मिलेगा, किन्तु इसकी क्या व्यवस्था होगी, पैमाना किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा? पैमाने के सही और गलत होने का निर्णय कौन करेगा? ये समाधान नहीं किए गए। हल और खेत बोल नहीं सकते। भू-लेख में लेखनी को कुंठित कर दिया गया। रिकार्ड में इन्द्राज कुछ है। मौके पर कुछ है। भू-लेख द्वारा किसी खेत के काबिज और स्वामी का पता लगाना कठिन ही नहीं असंभव है। फिर ये कैसी भूमि व्यवस्था और कैसा भूमि सुधार?

काबिज का इन्द्राज कौन करे? इसका निर्णय सरकार नहीं कर पाई। सुपरवाइजर कानूनगो को यह अधिकार दिया गया किन्तु प्रयोग सफल न रहा। इस समय परगनाधिकारी ही काबिज के नाम दरज किए जाने का आदेश प्रदान कर सकते हैं, किन्तु इसका प्रावधान इतना जटिल है कि सही काबिज इसके लिए प्रयास ही नहीं कर सकता। इस प्रावधान से ऐसा भी संभव नहीं है कि गलत इन्द्राज न हो। अनेक बहुत पुराने काबिज भूमि के नियमानुसार स्वामी होने के अधिकारी होते हुए भी नियमों में त्रुटियों के कारण अधिकारों से वंचित हैं। सरकारी कागजात में ऐसे भू-स्वामियों के नाम भरे पड़े हैं जिनका दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह वर्षों से पता भी नहीं कि वे कहां हैं? उनके स्थान पर खेती करने वालों का कहीं भी कागजात में नाम न होना भू-लेख की अशुद्धता तथा भूमि व्यवस्था में बड़ी त्रुटियों का प्रतीक है। राजस्व विभाग को इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है।

इसके लिए यदि नियमों में संशोधन कर भू-लेख कर्मचारियों को आदेश दिए जाएं कि वे पड़ताल के समय खसरे में भू-स्वामी के लिखे नाम के बजाय यदि अन्य किसी का कब्जा खेत पर पाएं तो काबिज व्यक्ति के नाम का अंकन खसरे के विवरण स्तम्भ में लाल मसि से करें। इस नए लेख की प्रतिलिपि उस समय तक जारी न की जाए, जब तक उच्च अधिकारी इसका सत्यापन कर प्रमाणित न कर दें। सुपरवाइजर कानूनगो गांव में जाकर अपनी पड़ताल के समय सभी काबिजान के नए इन्द्राजों का

सत्यापन करें और वहाँ पाए जाने वाले इन्द्राजों को तहसीलदार या परगनाधिकारी द्वारा प्रमाणित कराने के लिए रिपोर्ट करें।

कब्जों के नए लेखों में सत्यापन के समय यदि कर्मचारी की गलती अधिक मिलती है, कर्मचारी की बदनियती या शिथिलता प्रतीत होती है तो सुपरवाइजर कानूनगो को उस कर्मचारी की रिपोर्ट करने और उच्च अधिकारियों द्वारा उसे दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए ताकि भूलों और त्रुटियों के लिए गुंजाइश ही न रहे। कर्मचारियों को प्रोत्साहन और दंडित करने के लिए कब्जों के इन्द्राज के मामलों को मुख्य आधार माना जाए। इससे कागज और मौका में समानता होगी। सरकार की योजना हल के पैमाने में भू-स्वामित्व निश्चय किए जाने का सही हल निकलेगा।

उत्तराधिकार के मामले

किसी भू-स्वामी के मरणोपरान्त सरकारी कागजात में उसके उत्तराधिकारियों के नामों का अंकन अधिक से अधिक छः मास में अवश्य हो जाना चाहिए। यदि कोई सर्वेक्षण कराया जाता है तो स्पष्ट होगा कई कई वर्षों तक कागजात में मृतकों के नाम ही चलते रहते हैं। अनेक मामले तो आज भी ऐसे मिल सकेंगे कि बीस-पचीस वर्षों पूर्व मरने वाले भू-स्वामी के उत्तराधिकारी के नाम भी कागजात में नहीं आए। इतने वर्षों से मरने वालों के नामों का कागजात में यथापूर्व नाम चला आना कितनी बड़ी विडम्बना है। इसके लिए नियम बनाया जाए कि भूलेख कर्मचारी निर्विवाद मामलों में उत्तराधिकारियों के नामों का अंकन खतौनी में लाल मसि से स्वयं करें और सुपरवाइजर कानूनगो अपनी पड़ताल के समय ऐसे सभी मामलों का सत्यापन कर प्रमाणित करें। कानूनगो के सत्यापन और प्रमाणित करने से पूर्व इस नए इन्द्राज की प्रतिलिपि न दी जाए। सुपरवाइजर कानूनगो यह भी जांच करें कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई मामला कर्मचारी ने छोड़ा तो नहीं है। अवहेलना, शिथिलता या बदनियती पाए जाने पर कानूनगो कर्मचारी की रिपोर्ट कर उसे दंडित कराये। तहसीलदार, परगनाधिकारी तथा जिला अधिकारी समय-समय पर अपने निरीक्षणों में काबिज और उत्तराधिकार के मामलों की जांच करें और इन मामलों में कर्मचारियों और कानूनगोयान के कामों का निरीक्षण, सत्यापन और प्रमाणित करें। विवादग्रस्त मामलों में कर्मचारी भूस्वामी की मृत्यु से एक महीने के भीतर तहसील में अवश्य रिपोर्ट करें। इस संबंध में शिथिलता या अवहेलना कर्मचारी के लिए क्षम्य न मानी जाए। तहसीलदार छः मास के भीतर विवादग्रस्त उत्तराधिकार के मामले पर अवश्य निर्णय दें। फरार भू-स्वामियों के विषय में ऐसा नियम बनाया जाए कि उनका अंकन कागजात में एक वर्ष के भीतर ही हो जाए।

अकृष्य भूमियों का विवरण

यदि भू-लेख रिकार्ड का गंभीर अध्ययन किया जाए तो 2-3 प्रतिशत ऐसे भू-स्वामियों के नाम मिलेंगे जिनके नामों पर दो-दो, चार-चार बिस्वान्सियां भूमि अंकित हैं। एक दो बिस्वे तक भूमि पर कृषि किया जाना कठिन है। स्पष्ट है कि इन भूस्वामियों के नाम फर्जी हैं। इन फर्जी नामों से लेखन का बड़ा कार्य कर्मचारियों को करना पड़ता है और इसमें किसी को भी कोई लाभ नहीं। ये अत्यन्त छोटे भू-स्वामी नहीं हैं। रास्ते, आबादी, कब्रिस्तान, नाली और तालाब आदि की भूमियों पर इन फर्जी नामों का चला आना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। कर्मचारियों को आदेश दिए जाएं कि वे ऐसे सभी मामलों में इन भूमियों को यथोचित श्रेणियों में दर्ज कराने और फर्जी नामों को खारिज कराने के लिए रिपोर्ट करें। अधिकारीगण आवश्यक जांच पड़ताल के बाद सही निर्णय लेकर यह संशोधन कार्य करायें। इसमें कागजात की बड़ी गंदगी तो दूर होगी ही। अनावश्यक कार्य का बोझ भी कम होगा।

भू-मापन और दाशमिक प्रणाली

उत्तर प्रदेश एक इकाई होते हुए भी भू-राजस्व के मामले में एक इकाई नहीं है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में भू-मापन के अलग-अलग नाप के मापक हैं। कहीं बीघा छोटा है कहीं बड़ा। ये असमानता क्यों? देश में सर्वत्र सभी क्षेत्रों में दाशमिक प्रणाली लागू होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में भूमि सम्बन्धी मामलों में बहुत पुरानी, बड़ी असमानता पूर्ण प्रणाली क्यों लागू है? समझ में नहीं आता। सरकारी रिकार्ड में क्षेत्रफल लिखने का तरीका भी हर जिले [illegible] अलग-अलग है। कहीं बीघा, बिस्वा बिस्वान्सी है तो कहीं बिवान्सियां भी है बिस्वान्सिया वर्टों में है। किन्हीं जिलों में क्षेत्रफल एकड़ों में कहीं दशमलव [illegible] ऐसा क्यों? समस्त प्रदेश में भू-मापन [illegible] लिए एक ही नाप का मापक वह भी दाशमिक पद्धति का होना चाहिए और क्षेत्रफल लिखने की विधि भी एक ही होनी चाहिए।

भू-लेख की स्वच्छता और सुरक्षा

भू-लेख रिकार्ड का अवलोकन करने [illegible] पता चलता है कि अधिकांश कर्मचारी भू-लेख संबंधी रिकार्ड की स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति उदासीन पाए जाते हैं। खतौनी [illegible] पट वर्षीय होने पर तो खतौनी अधिकांश कर्मचारियों के बस्तों में सट्टेवालों की झाड़ी बाड़ी की कापी होकर रह गई है। कर्मचारियों को भूलेख रिकार्ड को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए शासन द्वारा प्रेरणा दी जानी चाहिए। अच्छे और स्वच्छ भू-लेख रिकार्ड पर कर्मचारी को पुरस्कृत किया जाए खतौनी की जिल्द बन्दी सरकारी खर्च पर कराई जाए। रिकार्ड की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रकार के आधुनिक [illegible] यदि शासन द्वारा दिए जाएं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

अन्त में मैं कहूंगा कि भूमि सुधार की दिशा में भू-लेख सुधार बहुत आवश्यक है। भू-लेख में त्रुटियां, अशुद्धियों और अनियमितताओं के कारण ही किसान अधिकांशतः मुकदमेबाजी का शिकार होते हैं। यदि इस दिशा में सफल प्रयास न किए गए तो भूमि सुधार का कार्यक्रम अपूर्ण रहेगा सरकार के लाख प्रयास करने पर भी किसान की दशा में सुधार नहीं हो सकेगा। भूमि सुधार के दूसरे पहलू जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सहायक हैं वहां भू-लेख सुधार किसान के आर्थिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होंगे काश, उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्व विभाग इस ओर ध्यान दें। □

38-आनंदपुरी,
रुड़की मार्ग, मुजफ्फर नगर

बंकिमचन्द्र का आनन्दमठ जिसने स्वाधीनता की ज्योति जलाई

डा० इन्द्रनाथ चौधरी

बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने "आनन्दमठ" उपन्यास की रचना करके भारतीयों के मन में एक जबर्दस्त राष्ट्र-प्रेम की भावना जगाई थी। बंकिमचन्द्र के द्वारा प्रतिष्ठित "बंगदर्शन" पत्रिका में यह उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था और सन् 1882 में अलग से पुस्तकाकार में यह उपन्यास छप कर निकला। नरेशचन्द्र सेनगुप्त ने "द एब्बे आफ ब्लिज" के नाम से सन् 1906 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। आनन्दमठ के प्रकाशन के समय लार्ड रिपन भारत के वाइसराय थे और सर एश्ले इडन बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। लार्ड रिपन से पहले वाइसराय लार्ड लिटन ने अपने जुल्मों के द्वारा भारतवासियों की राजनैतिक कट्टरता को पुख्ता किया था। बंकिम बाबू ने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सन् 1769 के संन्यासी विद्रोह की पटभूमिका में इस उपन्यास की रचना की। हालांकि रिपन के राज्यकाल में भारतवासियों को नाना प्रकार से लाभ पहुंचा था और पढ़े-लिखे लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति पैदा होने लग गई थी, फिर भी लिटन के जुल्मों ने जिस स्वाधीनता की आकांक्षा को ताजा कर दिया था उसमें फिर स्वाधीनता मिलने तक कभी कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी। आनन्दमठ में पहली दफा लेखक ने भारतीयों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए पुकारा था। उपन्यास में यह पुकार राजनैतिक नेता के स्थान पर देश के साधु-सन्यासी करते हैं जिनकी निःस्वार्थ भावना से भारतीय जनता हमेशा प्रभावित रही है। यह आह्वान इतना ज्यादा आकर्षक था कि स्वाधीनता की लड़ाई में इन सन्यासियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत "बन्दे मातरम" चौदह वर्ष के भीतर ही राष्ट्रगीत स्वीकृत कर लिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सन् 1896 में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया और उस अधिवेशन में रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने स्वयं इसे गाकर सुनाया। रवीन्द्रनाथ ने ही बंकिम चन्द्र के जीवनकाल में इसकी स्वर-लिपि तैयार की थी। बाद में 28 अक्तूबर, 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्य-कारिणी ने प्रस्ताव पारित किया कि 'बन्दे मातरम' स्वाधीनता आंदोलन का सजीव तथा अटूट अंग है और यह हमारा कौमी नारा बन चुका है। स्वाधीनता आंदोलन की कष्टदायक यात्रा से जुड़े हुए इस लोकप्रिय गीत के पहले दो चरणों को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया जाए। कांग्रेस कार्यकारिणी के उस समय सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहर लाल नेहरु, सुभाष चन्द्र दास तथा नरेन्द्र देव। प्रस्ताव का मसौदा स्वयं पंडित नेहरु ने तैयार किया था, जो उनकी लिखाई में आज भी नेहरु मेमोरियल म्यूजियम में सुरक्षित है।

इस उपन्यास के दसवें परिच्छेद में पहली बार 'बन्दे मातरम' का उल्लेख आता है। इससे पहले सन् 1769 में बंगाल में आए भयानक अकाल का वर्णन है। गर्मी और धूप तथा मृत्यु और हाहाकार के बीच अचानक चांदनी से भरी हुई रात आती है और उस रात जंगल के बीच से गुजरते हुए सन्यासी, नायक भवानन्द उपन्यास के और एक पात्र महेन्द्र को पहली दफा "बन्दे मातरम" गीत गाकर सुनाता है। महेन्द्र जब पूछता है, यह मां कौन है, तो भवानन्द कहता है, जननी जन्म भूमि ही हमारी मां है। गीत गाते हुए भवानन्द विह्वल होकर रोने लगता है तब महेन्द्र आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि तुम कौन हो? उत्तर मिलता है, हम मां की सन्तान हैं, अंग्रेज राज को लूटना हमारा काम है क्योंकि जो प्रजापालन नहीं कर सकता, उसे हम राजा नहीं मानते। इसके उत्तर में महेन्द्र कहता है, तुम तोप से उड़ा दिए जाओगे। भवानन्द कहता है, मौत एक बार ही आती है, दोबारा नहीं। देश के लिए मात्र मरना ही बंकिम को गवारा नहीं था।

उपन्यास की उपक्रमणिका में बहुत ही नाटकीय ढंग से लेखक ने इस बात को उठाया है। भयानक जंगल और रात का अंधेरा। हाथों-हाथ दिखाई नहीं पड़ता। उस अंधकार के समुद्र में एक आवाज सुनाई पड़ी। मेरी मनोकामना क्या पूरी नहीं होगी? उत्तर में किसी ने पूछा, क्या कीमत चुकाओगे? जवाब था, कीमत मेरी जिन्दगी। फिर आवाज सुनाई पड़ी, जीवन तुच्छ है, उसे तो खत्म होना ही है। तो फिर क्या दूं", क्या है मेरे पास? तब उत्तर मिला भक्ति। भक्ति यानि प्यार। इस तरह राष्ट्रवाद को मानववाद के साथ मिलाकर बंकिमबाबू ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। देश के लिए मर मिटना मगर साथ ही प्रत्येक मानवमात्र के लिए प्यार को बनाए रखना उनका स्वदेश प्राप्ति का आदर्श था।

इस विचारधारा को बंकिम ने अपने उपन्यास में एक मिथकीय रूपक प्रदान किया है जहां मंदिर में जन्मभूमि रूपी जननी को महाविष्णु के अंक में स्थापित करते हुए देशप्रेम को मानव मंगल के साथ जोड़ दिया गया है और भवानन्द को इसी मूर्ति की पूजा करते हुए दिखाया गया है। अंग्रेजों के साथ लड़ाई में इसी देव प्रतिमा का स्मरण करते हुए "बन्दे मातरम" का नारा लगाते हुए भवानन्द मौत की गोद में हमेशा के लिए सो जाता है और भारत की आने वाली पीढ़ी को स्वाधीनता आंदोलन का सही रास्ता दिखा जाता है। इसी रास्ते पर चलते हुए बाद में महात्मा गांधी ने थोड़ा अलग हट कर अहिंसा और सत्य के सहारे देश को स्वाधीनता दिलाने में सफलता प्राप्त की। बंकिम बाबू के लिए उस समय प्रतिरोधी आंदोलनकारी मार्ग से हटना नामुमकिन था, क्योंकि उससे ठीक 25 वर्ष पहले सिपाही विद्रोह हो चुका था। 1876 में नाटक प्रतिबन्ध अधिनियम लागू हो चुका था। मराठा

युवक फड़के गुप्त सेना तैयार करते हुए पकड़ा गया था और इन सब कारणों से भारतीयों के मन में एक आग भभकनी शुरू हो गई थी।

आनन्दमठ में इस प्रतिक्रिया के नाना अंतः साक्ष्य मिल जाते हैं। फिर भी कुछ लोगों ने हुकूमत को स्वीकार कर लिया था। **इसके विरोध में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटा**निका के 11वें संस्करण में प्रकाशित रमेशचन्द्र दत्त के आलेख का हवाला दिया जा सकता है जिसमें उन्होंने बंकिम बाबू के आनन्दमठ के बारे में यह स्पष्ट कहा है कि वन्देमातरम गीत से यह प्रमाणित हो जाता **है कि बंकिम बाबू हिन्दुस्तान में अंततः** स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि इस गीत में **मूर्ति पूजा की गंध आती है जो दूसरे धर्म** समुदाय के लोगों की भावना के विरुद्ध जाती है। मगर ऐतिहासिक सत्य तो यह है कि 7 अगस्त, 1905 में कलकत्ते के टाउनहाल में आयोजित सभा में पहली दफा यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि 'वन्दे मातरम' को कौमी नारा का दर्जा दिया जाए और एक वर्ष के भीतर ही सन् 1906 में संयुक्त बंगाल के बरिशाल जिले में मुस्लिम लीडर अब्दुल रसूल की अध्यक्षता में हुई सभा में 'वन्दे मातरम' को युद्ध नारे के रूप में भी स्वीकारा गया और वर्ष 23, 1906 की "बंगाली" पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार बरिशाल शहर में हिन्दू-मुसलमानों के एक भारी जुलूस में बार-बार 'वन्देमातरम' का नारा लगाया गया।

बंकिमबाबू की दूसरी रचनाओं से भी यह पता लगता है कि उनके मन में हिन्दू-मुसलमान के बारे में कोई भेदभाव नहीं था। उनकी दृष्टि में एक ओर अत्याचार पीड़ित भारतवासी थे और दूसरी ओर अत्याचारी अंग्रेज। अपने एक निबंध "बंगदेश के किसान" में उन्होंने बालशेविक क्रांति के 45 साल पहले यह लिखा था कि किसान पुरजोर मेहनत करके फसल पैदा करते हैं मगर उसका लाभ भोगते हैं अंग्रेज राजा या जमींदार या महाजन और बेचारे किसान, हाशिम शेख और रमा कैवर्त्त टापते रह जाते हैं तो फिर राज्य से फायदा क्या? दरअसल आनन्दमठ मातृभूमि रूपी जननी पर हुए अत्याचार के विरुद्ध, संग्राम की कहानी है। इस संग्राम का औचित्य और भी इस बात से प्रमाणित होता है कि जीवन के हर प्रकार के बंधनों से मुक्त सन्यासी इस संग्राम में शरीक हैं और जैसे ही इस संग्राम में उनकी जीत होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, वैसे ही सब कुछ छोड़छाड़ कर ये संन्यासी दूर **हिमालय में चले जाते हैं। उपन्यास के** अन्त में बंकिमबाबू ने इसी घटना को सांकेतिक ढंग से प्रकट करते हुए अंतिम वाक्य में लिखा है, विसर्जन आसिया प्रतिष्ठा लइया गेल – विसर्जन आकर प्रतिष्ठा को ले जाता है यानि प्रतिष्ठा नहीं त्याग ही जीवन का मूल है।

आनन्दमठ का संग्राम केवल कालिक नहीं –कालातीत है इसलिए आनन्दमठ के 'वन्दे-मातरम' गीत की माँ मात्र भारत माता नहीं, विश्वमाता है और आनन्दमठ मात्र अंग्रेजों के विरुद्ध भारतवासियों के संग्राम की कहानी नहीं प्रत्येक देश में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध संग्राम की कहानी है। □

(सामयिकी, आकाशवाणी से साभार)

अवैध शराब बनाने के धंधे को रोका जाए

राधे लाल

अभी कुछ मास पहले दिल्ली में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थीं जिसे अभी लोग भूल भी न पाए थे कि पिछले दिनों जहरीली शराब से बंगलौर में 300 से अधिक व्यक्ति मरे जिसकी बड़ी चर्चा अखबारों में रही। इसमें मरने वाले लोग गरीब तबके के थे। कारण यह है कि मजदूर तथा निम्न आय वर्ग के लोग महंगी शराब न खरीद कर उस सस्ती शराब की ओर भागते हैं जो अवैध रूप से बनाई गई होती है और विषाक्त होती है। कुछ वर्ष पहले कई राज्यों में शराब के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी जिसका परिणाम यह निकला कि जिन लोगों को शराब पीनी होती थी वे कहीं न कहीं से बन्दोबस्त करके अपनी तृप्ति कर लेते थे, **चाहे वह शराब अवैध** रूप से बनी और विषाक्त ही क्यों न हो। इससे अवैध रूप से शराब बनाने के धन्धे को बढ़ावा मिला। इस अवैध रूप से चलने वाले धन्धे को रोकने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन खेद की बात यह है कि ये दुर्घटनाएं बार-बार होती रहती हैं और कच्ची तथा जहरीली शराब का धन्धा चलता रहता है।

बंगलौर की दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट भी अवश्य आएगी, लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या भविष्य में अनेक महिलाओं को विधवा होने से तथा अनेक बच्चों को अनाथ होने से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हमारा विचार है कि सरकार ऐसे ठोस कारगर उपाय काम में लाए और ठोस कानून बनाए जिनसे ऐसी दुर्घटनाओं से मुक्ति पाई जा सके।

जरूरत इस बात की है कि लोगों को शराब की बुराइयों से अवगत कराया जाए। **महात्मा गांधी कहा करते थे कि शराब** मनुष्य के मन और आत्मा दोनों को नष्ट करती है। हमारे सभी महापुरुषों ने मद्यपान की निन्दा की है और इसकी बुराइयों से लोगों को अवगत कराते रहे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जहां एक ओर हमारे विकास की गति तेज हुई और आर्थिक समृद्धि आई वहां हमारा नैतिक ह्रास भी हुआ। इसका एक बड़ा कारण मद्यपान ही है।

हमारे पास प्रचार माध्यम के बहुत सशक्त साधन उपलब्ध हैं। हमें लोगों को शराब की बुराइयों से अवगत कराने के लिए इन प्रचार माध्यमों को काम में लाना चाहिए। रेडियो, टेलीविजन, समाचार-पत्र आदि माध्यमों से शराब बन्दी का जोरदार अभियान शुरू किया जाए तो इससे शराब से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। □

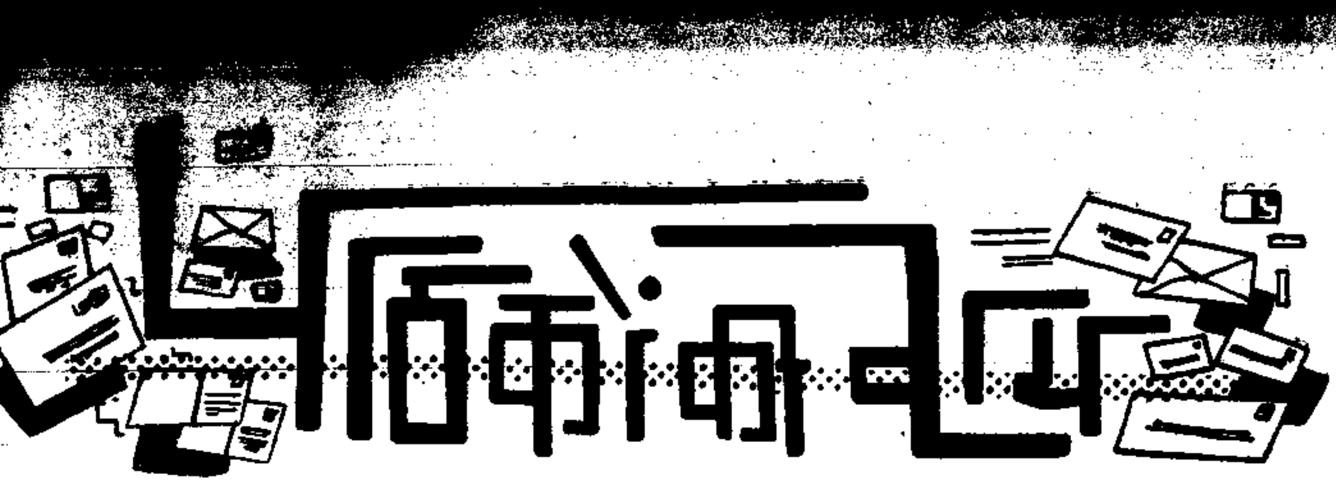

बेरोजगारी का समाधान ※ सुरेन्दर सिंह चौहान

'रोजगारी एक अभिशाप है, और भुक्त भोगी है देश की युवा शक्ति। इसमें ूर उस शक्ति का नहीं बल्कि उसका उपयोग करने वाले का है। रूस में इनाम दिया ता है जिस परिवार में ज्यादा सदस्य होते । हर स्त्री पुरुष को काम करना पड़ता है। किन इसका यह अर्थ नहीं कि वे सफल हैं। का मुख्य कारण है वहां की कम जन- ख्या और साथ ही अधिक आर्थिक क्षेत्रफल कि लगभग आधे क्षेत्रफल सहित भारत लग- दुगनी जन शक्ति लिए है। और जो भी धन हमारे पास है उनका भी पूरा उपयोग हीं। यह दोष है हमारी शिक्षा पद्धति का। धी जी ने नारा दिया था हर हाथ को काम घरेलू उद्योग, हथकरघा उद्योग'' आदि ही सम्भव है। हम चाहे रूस की नकल रें या अमेरिका की, यह सम्भव नहीं। में अपने देश के आचार, विचार, संस्कृति दि को ध्यान में रखकर ही चलना होगा। वश्यकता है कि दफ्तर में सफेदपोश बनकर ठने की चाह को कम किया जाए। गांवों में ाम करने की इच्छा का प्रादुर्भाव हो।

क्या कारण है कि गांव का एक युवक सवीं पास करने के बाद खेती से बचना चाहता है। कहीं शहर, कस्बे में किसी दफ्तर में पड़ासी बनना ज्यादा पसन्द करता है। उस युवक को यह समझाना होगा कि दूसरे की चाकरी से अपनी पढ़ाई का उपयोग अपनी खेती में कर के वह न केवल अपने को बल्कि देश को भी खुशहाल बना सकता है। एक शहर में पैदा हुए युवक को तो माना, नौकरी आदि के सिवाय कोई चारा नहीं, पर यह हर एक के लिए जरूरी नहीं कि नौकरी ही करे और वह भी दफ्तर में क्लर्की। हर साल देश में लाखों की संख्या में पढ़ा लिखा बेरोजगार पैदा होता है जो रोजगार कार्यालय के चक्कर लगाने से लेकर दफ्तरों आदि के चक्कर लगाता है। कारण स्पष्ट है :—

(1) तेजी से शहरों-कस्बों में नौकरी हेतु ग्रामीण युवा शक्ति का पलायन।
(2) युवा शक्ति का तकनीकी शिक्षा की ओर कम झुकाव।
(3) तकनीकी शिक्षा का महंगा होना।
(4) युवतियों का भी बेतहाशा नौकरी की ओर पलायन।
(5) उचित अनुचित हर क्षेत्र में मशीनीकरण।
(6) शिक्षा पद्धति जो केवल बाबू ही ज्यादा पैदा करती है।
(7) योग्यतानुसार काम का न मिलना।

समाधान

हमें सर्वप्रथम ग्रामीण युवा शक्ति को चेतन करना होगा, उन्हें बताना होगा कि हमारा देश जो कृषि प्रधान है उसका कल्याण सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही सम्भव है। तुम्हें हल की खेती छोड़ ट्रेक्टर की खेती या सामूहिक खेती का ही सहारा लेना होगा। अपने पढ़े लिखे होने से वह उन्नत खेती कर अपनी जमीन का अधिक से अधिक उपयोग कर सकता है। उसे नौकरी का मोह छोड़कर पूरी ताकत से अपने और देश के उत्थान में जुटना होगा। यह सन्देश ग्रामीण युवा शक्ति तक पहुंचाना होगा और उनके मन में बैठाना होगा। तभी इस देश को आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। तब बाहर से अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा। इससे न केवल रोजगार की समस्या को हल करने में बल मिलेगा बल्कि खाद्य समस्या का भी समाधान होगा।

हम देखते हैं कि जहां एक ओर युवकों में बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो पा रही, वहां दूसरी ओर महिलाएं भी हर जगह पैर फैलाना चाह रही हैं। क्या इससे समस्या और जटिल नहीं होती। रूस जैसे देश में महिलाओं का योगदान अपेक्षित हो सकता है। लेकिन हमारे देश में जहां पुरुषों में ही इतनी बेरोजगारी है महिलाओं

के पदार्पण से और भी गंभीर समस्या होती जा रही है। एक आदमी का अपनी लड़की की नौकरी के लिए भागा फिरना और लड़के के लिए यह कहना कि नहीं मिली तो कम से कम झल्ली तो ढो लेगा। कहां का सामाजिक न्याय है। लड़की को नौकरी मिल गई तो अच्छा घर मिलेगा चैन से तो रहेगी। इस प्रकार की भावना आम देखने में आती है। इसका यह मतलब नहीं कि महिलाओं को नौकरी करने के हम खिलाफ हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनकी सेवाएं ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी। नर्सिंग एवं प्राइमरी शिक्षा। नर्सिंग में विधवाओं को अथवा उनको जिनका कोई सहारा नहीं और जिनके लिए नौकरी नितान्त आवश्यक है, लिया जाना चाहिए। क्योंकि रोगी की आधी बीमारी ममतामयी सेवा से दूर की जा सकती है। रहा प्राइमरी शिक्षा में नौकरी का। वह सिर्फ लड़कियों के लिए हो। और वह भी शादी से पहले तक ही सीमित हो। बच्चे ही देश के भाग्य विधाता होते हैं और प्राइमरी तक का समय ही चरित्र निर्माण की पहली और सबसे नाजुक सीढ़ी होती है। एक युवती ही एक बच्चे को तहजीब तथा आदर भाव आदि अच्छा सिखला सकती है। किंडरगाटन प्रणाली में लड़कियों को ही प्राथमिकता क्यों दी गई है। इसीलिए कि बच्चा घर में मां से, वहां ममता रूपी अध्यापिका से, ज्यादा अच्छा और जल्दी सीखता है। इस प्रकार जल्दी ही स्थायी स्थान रिक्त होंगे और नई नियुक्तियां होती रहेंगी। इसके लिए राष्ट्रव्यापी त्याग भावनापूर्ण आन्दोलन की आवश्यकता है। लड़के यह शपथ लें कि वे नौकरी करने वाली लड़की से शादी नहीं करेंगे और लड़कियों को यह समझना होगा कि नौकरी के लिए न भागना उनका एक महान त्याग होगा देश के लिए तथा युवकों के लिए जिनमें उनके अपने भाई भी हो सकते हैं। आज हालत यह है कि अगर दो भाई बहन एक जगह के लिए आवेदन भरते हैं तो भाई चाहे ज्यादा लायक हो अच्छे नम्बर वाला योग्य हो पर बहन बाजी मार ले जाएगी। यह आम देखने में आता है। लड़की शादी के बाद अपने घर की हो जाएगी। इस प्रकार वह दोनों (पति-पत्नी) कमाने वाले होंगे और (लड़का) भाई हाथ पर हाथ धरे किस्मत को कोसेगा। एक दिन वह आ जाएगा कि लड़के के पैदा होने पर घर में जश्न नहीं मनेगा, बल्कि मातम छाया करेगा। पढ़े लिखे लड़के को जब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। ऐसा कानून होना चाहिए कि पति-पत्नी में से एक ही नौकरी करता हो। तभी सबको सामाजिक न्याय मिल सकेगा। दफ्तरों में क्या होता है। लड़कियों से आम तौर पर जितना काम करने की अपेक्षा की जाती है उतना काम नहीं करतीं। अपवाद स्वरूप कुछ लड़कियां अच्छी काम करने वाली हो सकती हैं।

दहेज प्रथा को हम सभी बुरा मानते हैं। हर आदमी चाहता है कि दहेज प्रथा का अन्त हो। लेकिन दूसरे रूप में यह प्रथा बढ़ रही है। वधू नौकरी वाली होनी चाहिए। जो विवाहित महिलाएं नौकरी करती हैं, वे अपने बच्चों को किसी के सहारे छोड़ती हैं। वे चंद चांदी के सिक्कों के लिए क्या अपने जिगर के टुकड़ों के साथ अन्याय नहीं करतीं? जिन बच्चों को मां का समुचित प्यार नहीं मिलेगा उनके जीवन में एक रिक्तता घर कर जाती है। मां-बाप के लिए कितना प्यार उनके मन में होगा।

शिक्षा इतनी महंगी है कि औसत आदमी अपने बच्चों को सिर्फ शिक्षा भर दिला सकता है। तकनीकी, डाक्टरी आदि नहीं। एक अमीर-समर्थ अपने बच्चे को डाक्टरी में दाखिला दिला सकता है। डाक्टरी के बाद शादी भी डाक्टर लड़की से ही होती है। आमतौर पर समर्थ ही अधिक समर्थ होते जाते हैं। गरीबी-अमीरी की खाई चौड़ी होती जाती है।

यह खुशी की बात है कि भारत सरकार के पुनर्निर्माण मंत्रालय ने ट्राइसेम कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों के बेरोजगार युवकों को अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए विभिन्न व्यवसायों में व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग की अवधि छः मास होती है। ट्रेनिंग के दौरान 100 रुपये प्रतिमाह वजीफा भी दिया जाता है। बाद में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुदान देने और बैंकों से ऋण उपलब्ध करने की व्यवस्था है। वर्ष 1980-81 में 45 युवकों को ट्रेनिंग दी गई और 27,000 रुपये का वजीफा दिया गया। □

248, दिल्ली गेट
दिल्ली।

आए बादल

✻ श्याम बेबस ✻

चलो, उठाओ भैया हल !
आए बादल !
आए बादल !!
पुरवैया के झोंके देते,
दरवाजे पर दस्तक ।
बिजली दिखा रही है सबको,
नृत्य मनोहर कत्थक ।
बरस रहा है झर-झर जल !
आए बादल !
आए बादल !!

प्यास बुझी तपती धरती की,
छाई है हरियाली ।
धरती अब उगलेगी सोना,
आएगी खुशहाली ।
अच्छी होगी खूब फसल !

आए बादल !
आए बादल !!

श्रम का दीप नहीं बुझता है
आंधी-तूफानों से ।
अगर लगन हो सच्ची, निकलें
राहें चट्टानों से ।
मीठा होता श्रम का फल !

आए बादल !
आए बादल !!

रूपक

पाप की आय

मोहन सिंह

पात्र परिचय :— 1. गणपत चौधरी 2. गिरधारी (चौधरी का भाई) 3. गोपीराम (चौधरी का बड़ा लड़का) 4. सुभाष (चौधरी का छोटा लड़का) 5. गांव का पटवारी 6. गोधू (एक किसान)

प्रथम दृश्य

स्थान :–(गणपत चौधरी का कमरा) कमरे में बैठे हैं चौ० गणपत, गिरधारी, गोपीराम, गांव का पटवारी।

समय :–रात

(अचानक, चौधरी गणपत राम का छोटा लड़का जो बी०ए० पास है तथा निकट के ही गांव में अध्यापक लगा है, प्रवेश करता है। वह अपने पिता के चरण छूता है तथा अन्य बैठे हुए लोगों को नमस्कार कर एक तरफ़ खड़ा हो जाता है। गणपत चौधरी उससे हाल चाल पूछते हैं।)

गणपत चौधरी :— क्यों, सुभाष तेरा काम ठीक जम गया आखिर तेरे को नौकरी मिल ही गई। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि तू अध्यापक बने। ईमानदारी से रोटी कमाए, खाए। भगवान ने मेरी सुन ली, तू अध्यापक ही बना। मैं बड़ा प्रसन्न हूं।

सुभाष :— पिताजी, बी० ए० पास करके मेरी भी हार्दिक इच्छा यही थी कि अध्यापक बनूं। देश से, गांवों से अज्ञान तिमिर का नाश करूं। युवकों को शिक्षा के प्रति अनुराग का उद्रेक करूं उन्हें ईमानदार, कर्त्तव्यनिष्ठ एवम् देश भक्त नागरिक बनाऊं। पर पिताजी गत 3 माह में मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि अध्यापक बनकर मैंने भारी भूल की। इस पेशे में न पैसा है, न प्रतिष्ठा। इससे तो अच्छा था मैं राजस्व या आयकर विभाग में बाबू बन जाता, बाबू नहीं तो पटवारी ही बन जाता। मैं देखता हूं बाबू, पटवारी मौज मारते हैं, नोटों से खेलते हैं।

गणपत चौधरी :— पुत्र, तेरे मुंह से यह क्या सुन रहा हूं। तू अध्यापक के पेशे की बुराई करता है। तूने किसी भ्रष्टाचारी या ऊपर की आयवाले कर्मचारी की संगति कर ली क्या ?

गोपीराम :— क्यों रे, सुभाष, इतने दिनों में ही अध्यापकी से घृणा कैसे हो गई। भाई, अध्यापक के कार्य जैसा कोई कार्य नहीं। इस पद पर रहकर व्यक्ति ईमानदारी से अपनी रोजी-रोटी कमा सकता है, अपनी शिक्षा सहज, सरल ढंग से बढ़ा सकता है, समाज सुधार के कार्य में रुचि लेकर प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकता है। इस कार्य में न किसी की गुलामी न जी हुजूरी। ऊपर की आयवाले पेशों में तो अफसर को प्रसन्न रखना पड़ता है, उनकी चमचागिरी किए बिना पार नहीं पड़ती। व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा भी नहीं कर सकता।

सुभाष :— भाई साहब, छोड़ो इन बातों को। आज अध्यापक को कौन पूछता है। राष्ट्र निर्माता कह कर लोग उसे फुला देते हैं। दिनंदिन जीवन में कौन अध्यापक का मान, सम्मान करता है। वह अपना स्वाभिमान लिये फिरे।

गिरधारी :— सुभाष तू तो 3 माह में ही बदल गया रे। तेरे में तो आज ही पैसे की, प्रतिष्ठा की भूख जाग गई। कौन कहता है कि अध्यापक को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। अगर अध्यापक सच्चा, ईमानदार एवम् निष्ठावान है तो समाज उसका हृदय से आदर करता है, उसे प्रतिष्ठा देता है। पटवारी बाबू इनकी भी तो हम सिर्फ़ स्वार्थ से आवभक्त करते हैं।

पटवारी :— चौधरियो, बेचारे सुभाष को क्यों दबा रहे हो ? मेरा भी भाई अध्यापक बनकर पछता रहा है। वह एम०ए० पास है, पर पटवारी या बाबू बनना चाहता है।

सुभाष :— पिताजी, आयकर विभाग में बाबू का साक्षात्कार मैं दे आया हूं। आशा है मेरा चयन हो जाएगा। अगर चयन नहीं होता तो भी मैं अध्यापक का कार्य नहीं करूंगा। मुझे ऐसी बेकार नौकरी नहीं चाहिए। मैं शीघ्र ही अपना त्याग पत्र दे दूंगा।

गणपत चौ० :— जा, जा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। हमें बुरी कमाई, ऊपर की आय नहीं चाहिए। मैं जीवन भर ईमानदार रहा हूं। परिणामतः ईश्वर की अनुकम्पा से मेरा परिवार फला फूला है। मेरे कोई अभाव नहीं रहा। मुझे अन्य नौकरी

पसन्द नहीं। तू अन्दर जा खाना खा, आराम कर। हम भी आ रहे हैं। सुभाष चला जाता है हम भी उठ कर चल पड़ते हैं।

दूसरा दृश्य

स्थान– चौ० गणपत का कमरा।

समय :— प्रातः

(चौ० तथा उसका बड़ा लड़का गोपीराम हुक्का पी रहे हैं। अचानक सुभाष का प्रवेश। कुर्सी पर बैठकर सुभाष पिता से कहता है)

सुभाष:— पिता जी, मैं जा रहा हूं। 10–15 दिन में त्याग पत्र देकर आ जाऊंगा।

गणपत चौ० :—बेटा, ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना है। आज पढ़े लिखे लोग दर-दर ठोकर खाते फिरते हैं। नौकरी कहां मिलती है। तू धीरज से विचार कर। हमें आय तो खेती से ही पर्याप्त हो जाती है। हमें खोटा पैसा नहीं चाहिए। तू अभी युवक है। अगर युवक ही भ्रष्टाचारी बन गए तो इस देश का क्या होगा?

गोपीराम:— पिताजी, ऊपर की आय वाले विभागों के कर्मचारियों की संगति में रहकर यह 3 माह में ही बदल गया है। इसे भी ऊपर से आए पैसे से मौज मारने की हूक सवार हो गई है। पर इसे यह पता नहीं कि इन ऊपर की आय वालों में कितनी बुरी आदतें पनप जाती हैं। आप इसे नौकरी छोड़ने दें। नौकरी छोड़ते ही इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जा, सुभाष तेरे को जैसा ठीक लगे वैसा कर। (सुभाष का प्रस्थान)

थोड़ी देरे पश्चात्, गिरधारी, गोधू, एवम् पटवारी वहां आते हैं।

गोधू:— (बैठकर) चौ०, आज उदास कैसे हो?

गणपत चौ० :— भाई क्या बताऊं? न जाने क्या होने वाला है? इन छोकरों को तो बस एक ही धुन सवार है, पैसे कमाओ, गुलछर्रे उड़ाओ। न उन्हें समाज की चिन्ता है, न देश की। तुम्हें पता है अपना सुभाष, मास्टर बन गया है, पर उसे मास्टरी पसन्द नहीं। वह त्याग-पत्र देने को तैयार हो रहा है।

गोधू :— इसमें क्या बुरा है? छोड़ने दो उसे मास्टरी। क्या रखा है इसमें, इससे तो सिपाही ही अच्छा।

पटवारी :— गोधूजी, आप ठीक कह रहे हैं। बेचारे, मास्टर को आज कौन पूछता है। उसे कोई छाछ भी देना नहीं चाहता। तनख्वाह चाहे हमें कम मिले, पर हमारी पूछ तो है। आप सब लोग इज्जत करते हैं। किसी काम के लिए इन्कार नहीं करते।

गणपत चौ० :— पटवारी जी क्या बात कर रहे हो? कहां पटवारी कहां अध्यापक? अध्यापक की बराबरी कौन कर सकता है। उसका ऋण कौन चुका सकता है? वह इन्सान को शिक्षित करता है, सभ्य बनाता है, अध्यापक देश के भविष्य का निर्माण करता है। समाज में क्रान्ति लाता है, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि आज हम सब अध्यापक को वह मान सम्मान नहीं देते जिसका वह अधिकारी है। पटवारी जी, आपकी सेवा लोग स्वार्थ से करते हैं। काम न होने पर आपको खरी-खोटी भी सुनाते [illegible] आपके बच्चे भी आवारा हो रहे हैं। किसी ने दसवीं भी पा[illegible] नहीं की। मुझे तो आपकी ऊपर की आय फलती होती न[illegible] दीखती।

पटवारी :— चौधरीजी, आपका कहना ठीक है, पर युग पै[illegible] का है। आज पैसे बिना पार नहीं पड़ती। और अध्यापक [illegible] पास पैसा कहां से आवे?

गणपत चौ० :— पटवारी जी ऐसी बात नहीं है। आज क[illegible] अध्यापक को अच्छा वेतन मिलता है। वह आराम से दाल, रोट[illegible] खा सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है। हां, ऊपर की आ[illegible] वालों की तरह बुरे शौक नहीं पाल सकता।

डाकिये का प्रवेश। वह एक लिफाफा गोपीराम को दे[illegible] है। गोपीराम उसे खोलता है। पत्र को पढ़कर पिता जी क[illegible] बताता है।

गोपीराम :— पिताजी, सुभाष आयकर विभाग में बाबू बन गय[illegible] है यह उसकी नियुक्ति का पत्र है।

गणपत चौ० :— बेटा, जो ईश्वर को स्वीकार है। पर मेरी दृष्[illegible] में तो सुभाष ने अच्छा काम नहीं किया। दूर के ढोल सुहाव[illegible] लगते हैं।

(सुभाष का प्रवेश)

सुभाष :— पिताजी, नमस्कार।

गणपत चौ० :— प्रसन्न रहो बेटे।

गोपीराम:— तेरी इच्छा पूरी हो गई। यह तेरा नियुक्ति प[illegible] है (पत्र देता है)

सुभाष :— पिताजी अब देखना, मेरे करिश्में साल में ही घर क[illegible] रंग बदल दूंगा। अब हमारा घर कच्चा नहीं रहेगा। हमा[illegible] खेत में ट्रैक्टर चलेगा। घर में कूलर, फ्रीज होगा।

गनपत चौ० : मुझे नहीं चाहिए तेरी ऊपर की आय। मैं भला मेरी खेती भली। ईमानदारी से कमाई हुई तो दाल-रोटी भी अच्छी [illegible] दूसरों से ऐंठ कर एक पैसा भी इस घर में नहीं लाना। मुझे दुःख है कि [illegible] मेरा पुत्र इतना गिर गया है। ऊपर की आय पाप का पैसा होता [illegible] इससे किसी का भला नहीं होता बल्कि इससे घर-गृहस्थों में अनेक [illegible] संकट उपस्थित हो जाते हैं।

सुभाष : पिता जी, आप सच कहते हैं। मैं बहुत गिर गया था [illegible] आपके शब्दों ने मेरी अक्ल ठिकाने लगा दी है। मैं अपनी इस [illegible] नियुक्ति को तो स्वीकार करता हूं पर आपको शपथ देकर कहता हू[illegible] कि मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा और ऊपर की कमाई की कभी कामना नहीं करूंगा। ☐

मोहन सिं[illegible]
प्रधानाध्यापक
राजकीय माध्यमिक विद्यालय
तलवाड़ा झील (जिला श्रीगंगानगर)
[राजस्थान]

साहित्य समीक्षा

जागृति वार्षिकांक 1980 : सम्पादक : आनन्द बिहारी शरण, प्रकाशक : खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वार्षिक मूल्य : 10 रुपये ।

जागृति पत्रिका खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य पत्रिका है। इस वार्षिक विशेषांक के साथ यह पत्रिका अपनी रजत जयंती मनाती हुई पच्चीसवें वर्ष में प्रवेश कर रही है। श्री सोमदत्त (भूतपूर्व अध्यक्ष) ने अच्छा सुझाव दिया है कि जागृति को समूचे खादी जगत की सारी गतिविधियों को अपनी परिधि में लेना चाहिए।

इस विशेषांक में अच्छे ज्ञानवर्द्धक लेख शामिल किए गए हैं। रेशम खादी, ऊनी खादी, मधुमक्खी पालन, कागज बनाना, गोबर गैस, ऊर्जा, अनाज और दाल परिशोधन, साबुन उद्योग, दियासलाई, गुड़ और खांडसारी आदि पर लाभदायक लेख पढ़ने को मिलते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी पत्रिकाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाया जाए ताकि 90 प्रतिशत भारतीयों का आर्थिक जीवन इसकी परिधि में आ जाए। पत्रिका के कलेवर को देखते हुए इसका वार्षिक मूल्य नहीं के बराबर है। □

डा० ताराचरण रस्तोगी,
बीरुबाड़ी, गौहाटी-781016

कश्मीर की श्रेष्ठ कहानियां : सम्पादक : डा० शिवकृष्ण रैना , प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 160, मूल्य : 16 रुपये ।

प्रस्तुत कहानी संग्रह में 13 कथाकारों की 19 कहानियां संकलित हैं। संपादक के शब्दों में—"कहानियों का संचयन उनकी लोकप्रियता व श्रेष्ठता के आधार पर किया गया है।"

इन कहानियों को पढ़कर लगता है कि संपादक के उक्त कथन में पूरी सचाई है और यदि इन पर लगा कश्मीरी कहानियों का लेबल हटा दिया जाए तो हिंदी की मूल कहानियों में भी श्रेष्ठ कहानियां हैं। इन कहानियों को पढ़कर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कश्मीरी से हिन्दी में अनूदित कहानियां हैं।

अख्तर महीउद्दीन की 'अनजान रिश्ता', 'लाल रंग की सलवार' और 'चूजे की मौत', बंसी निर्दोष की 'मधुमक्खी', 'अधूरा इन्सान' व 'हेयर पिन', अमीन कामिल की 'छत' व 'मायके की नदिया', सूफी गुलाम मुहम्मद की 'गंजा' व 'मालदुयद', प्रेमनाथ दर की 'टूरदी बस', अली मुहम्मद लोन की 'मोगली-मफ्फार' गुलाम रसूल की 'गृह-स्वामी', अवतार कृष्ण रहबर की 'तोहफा', दीपक कौल की 'राधाकृष्ण की बिल्ली', हृदय कौल भारती की 'पुराना सफर' और 'नई राहें', हरिकृष्ण कौल की 'धूप', शंकर रैणा की 'अब किसकी बारी है' और अमर मालमोही की 'घाव' कहानियां इस संकलन में हैं।

वास्तव में इन्हें कश्मीरी की प्रतिनिधि कहानियां कहा जा सकता है। निस्संदेह इनका श्रेय संपादक को जाता है जिन्होंने हिन्दी पाठकों को कश्मीरी की श्रेष्ठ कहानियों से परिचित कराया। इनका अनुवाद भी बहुत साफ-सुथरा तथा मौलिक का सास्वाद लिए हुए है।

देवेन्द्र उपाध्याय
सी-7/315-बी, लारेंस रोड,
दिल्ली-110035

शादी : लेखक : गुरुदत्त, प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ सं० : 176, मूल्य : 20 रुपये ।

प्रस्तुत उपन्यास उस सम्पन्न परिवार की कहानी है जिसके सदस्य अलग-अलग मानसिक धरातल पर जी रहे हैं। पिता मनोहर लाल ऐसे गुरू के शिष्य हैं जो समाज में विवाह संस्था को गैर जरूरी मानते हैं और काम सम्बन्धों में स्वच्छन्द और भोगवादी प्रवृत्ति को प्रश्रय देते हैं। मनोहर लाल सेठ की लड़की भी गुरू के प्रभाव में आ जाती है और फ्री लांसर क्लब की स्थापना करती है, जिसमें स्त्री-पुरुष मुक्त रूप से काम सम्बन्ध स्थापित करते हैं। एक दिन यही लड़की रेवा बिना विवाह के गर्भवती हो जाती है और मां से कहती है कि वह आने वाले बच्चे को नष्ट कर देगी।

रेवा की मां धार्मिक विचारों की महिला है। वह भ्रूण को नष्ट करने को पाप समझती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो रेवा का पिता उस बच्चे का लालन-पालन गुप्त रूप से करता है और रेवा से कह दिया जाता है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जब रेवा की शादी हो जाती है तो उस बच्चे की जानकारी उसके पति को दे दी जाती है। एक दिन बच्चे का असली हकदार रेवा से बच्चा मांगने आता है तो रेवा बच्चा देने से इन्कार कर देती है। लेखक ने ऐसे होने वाले बच्चों की सामाजिक समस्या को गहन रूप से उठाया है।

इसी उपन्यास में सुन्दरम्, भण्डारी व राबर्ट आदि पात्रों की उपकथाएं भी जुड़ी हुई हैं जो सीधे गुरुजी से सम्बद्ध हैं। आधुनिक गुरुओं के क्रिया-कलाप, उनका राजनैतिक प्रभाव और उनके इशारे पर कर्मचारियों व अधिकारियों का उत्थान-

पतन भी हमारे समाज के सामने शोचनीय परिस्थिति पैदा कर देता है।

इस उपन्यास का मूल उद्देश्य है भारतीय विवाह संस्था और संस्कार ही कल्याणकारी हैं, ऐसा लगता है। तभी तो अन्त में हर पात्र गुरुजी के मोहपाश से मुक्त हो जाता है, उनके विचारों से खुद को अलग कर लेता है। सिद्धेश्वर की पत्नी निर्मला जो कल तक मां बनने से इन्कार कर रही थी, ससुर के उपदेश के कारण मां बनना चाहती है।

उपन्यास में व्याकरण और प्रूफ सम्बन्धी भूलें हैं जैसे अनेक प्रकार को अनेकों प्रकार, टूर को टूअर, ड्राइंगरूम को ड्राइंगरूप, रलें को लेलें आदि।

लगता है उपन्यास को बेस्ट सेलर बनाने की दृष्टि से लिखा गया है। उपन्यास की शैली विश्लेषणात्मक है। हर पात्र अपनी कमजोरी साथ-साथ प्रकट करता जाता है जो इसकी पाठकीय रोचकता में अवरोध पैदा करती है।

कुलदीप जैन
सी-48/2बी, चौहान बांगर,
सीलमपुर, दिल्ली-110053

जीवन के कुछ पृष्ठ—इन्दिरा गांधी : अनुवादक : राजेन्द्र अवस्थी, प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली पृष्ठ संख्या : 186, मूल्य : 50 रुपये।

यह पुस्तक इन्दिरा गांधी द्वारा 'इमानुएल पुष्पदास' को दिए गए साक्ष्यों पर आधारित 'माई ट्रुथ' का हिन्दी अनुवाद है। पहले यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में पेरिस से छपी थी। वहां पर यह काफी चर्चा का विषय रही। कहना न होगा कि यह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन तथा उपलब्धियों पर एक अन्तरंग दस्तावेज है। इसमें उन्होंने अपने बचपन के प्रारम्भिक दिनों, किशोर अवस्था, शिक्षा, स्वाधीनता आन्दोलन में योगदान, दादा मोती लाल नेहरू तथा पिता जवाहरलाल नेहरू और मां कमला के संस्मरण, फिरोज गांधी से विवाह और फिर अपने पिता के प्रधानमंत्री बनने पर उनकी सहायिका के रूप में अपने जीवन का विस्तृत वर्णन दिया है। पूरी पुस्तक में इन्दिरा जी को स्वयं अभिव्यक्त करने का अवसर दिया गया है।

इन्दिरा गांधी ने बड़े ही स्पष्ट रूप में ऐसे अपने कुछ तथ्यों का उद्घाटन किया है जिनके सम्बन्ध में अधिक चर्चा नहीं हुई थी। 1959 में हुए कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सहकारी खेती सम्बन्धी पारित प्रस्ताव पर वे अपना मत व्यक्त करती हुई कहती हैं कि दल के तथाकथित सर्वे-सर्वा वे लोग थे जिनका अधिकतर झुकाव दक्षिण की ओर था और वे अपने अधिकांश विचार पश्चिम से लेते थे। यही वजह है कि नागपुर प्रस्ताव लागू नहीं किया जा सका और अन्य भूमि सुधार कार्यक्रम भी।

जब से वे स्वतंत्र रूप से राजनीति में आती हैं तो उनका जीवन भारत का राजनीतिक इतिहास ही बन जाता है। पुस्तक में उन घटनाओं का समावेश है जिन्होंने समय-समय पर तीव्र विवाद उत्पन्न किया। इनमें मुख्य रूप से केरल में कम्युनिस्ट सरकार की पराजय, 1962 का भारत-चीन युद्ध और रक्षा मंत्री, श्री कृष्णा मेनन का निष्कासन, कामराज योजना, भारत पाक युद्ध तथा ताशकन्द समझौता, कांग्रेस के सिंडीकेट वर्ग के साथ संघर्ष और कांग्रेस का विभाजन, बंगला देश का निर्माण तथा भारत-पाक युद्ध, भुट्टो और शिमला समझौता, आपात काल और आम चुनाव में उनकी पराजय आदि शामिल हैं। यद्यपि इन सब घटनाओं के विषय में समय-समय पर बहुत कुछ लिखा गया है परन्तु केन्द्रीय व्यक्तित्व होने के कारण इन्दिरा गांधी का अपना पक्ष विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है।

इस पुस्तक में केवल मार्च, 1977 के आम चुनाव में उनकी पराजय तक का ही वर्णन है। उसके पश्चात् की घटनाएं इसमें नहीं दी गई हैं। निस्सन्देह पुस्तक एक उपयोगी ग्रन्थ है।

अनुवादक के रूप में श्री राजेन्द्र अवस्थी का कार्य विशेष रूप से प्रशंसनीय है। पुस्तक को पढ़ने से पाठकों को यह आभास ही नहीं हो पाता कि यह कोई अनुवाद है। हिन्दी पाठकों के लिए यह एक उपयोगी दस्तावेज है। साथ ही यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि कहीं-कहीं पर कुछ शब्दों का अनुवाद भारत सरकार द्वारा मान्य शब्दावलि से भिन्न है, जैसे 'परमाणु उर्जा' विभाग के लिए 'अणुशक्ति विभाग' लिखा गया है। फिर भी, भाषा चुस्त, सरल और सारगर्भित है और साथ ही अनुवादकों के लिए अनुकरणीय भी।

राजेश्वरी पाँचाल
ए-6 सिद्धार्थ बस्ती,
जंगपुरा, नई दिल्ली।

चौबोली रानी : (लोक कथा माला) : लेखक : लक्ष्मी निवास बिड़ला, प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 118, मूल्य : 5 रुपये।

लोक कथा पुस्तक माला के अधीन सस्ता साहित्य मण्डल का यह प्रयास राजस्थान अंचल की प्रतिनिधि कहानियों पर आधारित है।

विभिन्नता में डूबी हुई, मनोरंजन से भरपूर आंचलिक जानकारी, तथा सभ्यता की झलकियां जो इन केवल दस कहानियों में मिलती हैं उनसे सस्ता साहित्य मंडल की निश्चित साधना तथा निष्काम सेवा का पता चलता है। पुस्तक की पृष्ठ सामग्री, बालक, युवक तथा वृद्ध पाठक के लिए सामान्य रूप में पठनीय है। राजस्थान का इतिहास और सामाजिक परम्पराएं दूसरे अंचलों की अपेक्षा केवल असाधारण ही नहीं बल्कि वीरता और वैराग्य की मुंह बोलती गाथाएं भी हैं। रेत के टीलों, नंगे, कठोर पर्वतीय सिलसिलों में घिरे नगरों, कोट और गढ़ों की इस भूमि की लोक कथाओं में अनुभव के मीठे-कड़वे तत्वों का मिश्रण अपना जवाब आप है। पुस्तक का कलेवर सुन्दर बन पड़ा है। प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं। यह छपाई-सफाई की दृष्टि से अच्छी बन पड़ी है। □

बदली विद्यार्थी,
बी-58 पंडारारोड,
नई दिल्ली-110003

"ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार"

ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार हेतु नीति" पर बुलाए गए दो-दिवसीय सम्मेलन ने सिफारिश की है कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में अकुशल और गरीब लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर देने में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के योगदान को देखते हुए इसका और विस्तार किया जाना चाहिए। इस सम्मेलन का आयोजन ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय ने किया था। सम्मेलन में केन्द्र और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों और अधिकारियों नें भाग लिया।

सम्मेलन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रखंड स्तर तक तकनीकी और सुपरवाइजरी कर्मचारियों की व्यवस्था करने के साथ ही इसके लिए अधिकाधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्रम और सामग्री के लिए 60 से 40 प्रतिशत के वर्तमान अनुपात का कड़ाई से पालन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को स्थायित्व प्रदान करने में रुकावट आती है।

यह भी सिफारिश की गई कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरु की गई परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों को सीमेंट, लोहा और इस्पात आदि सामग्रियों का विशेष कोटा दिया जाना चाहिए।

लक्ष्य समूह द्वारा शुरु की जाने वाली परियोजनाओं के समर्थन हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कोष का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया है कि परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की जानी चाहिए। यह सिफारिश की गई है कि शेयर पूंजी सहायता की राशि को 40 रु. से बढ़ाकर 100 रु. किया जाना चाहिए। निम्न श्रेणी के बैंक कर्मचारियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। आवश्यक कच्चे माल की नियमित सप्लाई सही दर पर करने के लिए उचित तंत्र का गठन किया जाना चाहिए।

यह अनुभव किया गया कि ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए वर्तमान मासिक वृत्ति की दर अपर्याप्त है और उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण संस्थाओं को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए जिससे कि वे नवयुवकों को उनकी कुशलता के विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दे सकें ताकि वे स्वरोजगार में लग सकें।

यह विशेष रूप से बताया गया कि ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण और किसी विशेष क्षेत्र में चालू किए जाने वाले परियोजनाओं में उपयुक्त संबंध स्थापित होना चाहिए। उद्योगपतियों और परियोजना प्रबंधकों के सहयोग से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता की समय पर पहचान की जानी चाहिए। इस बात पर सहमति थी कि प्रत्येक विकास खंड में एक प्रसार अधिकारी (ग्रामीण उद्योग) होना चाहिए जिससे की ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा सके और कम से कम गैर-कृषि क्षेत्र के 200 परिवारों को इस कार्यक्रम के तहत लाया जा सके।

वृक्षारोपण और सामाजिक वानिक कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर शुरु किया जाना चाहिए। साथ ही साथ, वाणिज्यिक, वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरु किए जाने चाहिए। इसका तात्कालिक उद्देश्य हर परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देना होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवकों को स्वरोजगार में लगाने के उपायों की व्यवस्था के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए।

तीसरे क्षेत्र का विकास

तीसरे क्षेत्र की रोजगार क्षमता को मद्देनजर रखते हुए यह सिफारिश की गई कि इस क्षेत्र का विकास और विस्तार किया जाना चाहिए। खुदरा व्यापार, वाणिज्य और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए और व्यवहार्य योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। परंपरागत कारीगरों के कौशल में सुधार किया जाना चाहिए ताकि उनकी प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण किया जा सके और उनके व्यवसाय को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाया जा सके।

बुनियादी सुविधाओं का विकास

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पौलिटेकनिकों, तकनीकी विद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने की सिफारिश की गई ताकि इन संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों में तकनीकी कौशल का हस्तांतरण किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक प्रशिक्षण केन्द्र हो, जहां भ्रमणशील प्रशिक्षण गाड़ियां उपलब्ध हों। इनका उपयोग करके ग्रामीण महिलाओं को उनके घरों में प्रशिक्षित करने के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकें। जिला स्तर पर स्थापित की जाने वाली आपूर्ति और वितरण

समितियां न केवल तैयार माल की बिक्री का प्रबन्ध करेंगी अपितु कच्चे माल का भी प्रबन्ध करेंगी।

प्रस्ताव

बेरोजगारी के बढ़ते हुए आयाम, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के त्वरित विस्तार के लिए तत्काल कदम उठाने और ठोस कार्यक्रम तय करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पारित किया कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम के अध्ययन के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार के लिए अपनाई गई उपयुक्त नीतियों पर सिफारिश पेश की जानी चाहिए। साथ ही साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए व्यापक पैकज कार्यक्रम के बारे में भी समुचित सिफारिश की जानी चाहिए।

खाद उत्पादन में सुधार

इस वर्ष फास्फेट के उत्पादन में लगभग 9.25 लाख टन की वृद्धि होगी। यह पिछले वर्ष के उत्पादन से 8.4 लाख टन अधिक होगी।

वर्ष 1981-82 के दौरान पांच नई खाद परियोजनाओं में नियमित रूप से उत्पादन आरम्भ हो जाएगा। इनमें से हल्दिया और ट्राम्बे-5 सार्वजनिक क्षेत्र, जी. एस. एफ. सी. (भडोच) और कानपुर (विस्तार) निजी क्षेत्र और कान्डला (विस्तार) सहकारी क्षेत्र में हैं।

इन परियोजनाओं से नाइट्रोजन और फास्फेट क्षमता काफी बढ़ जाएगी।

विभिन्न अन्य परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। इनके पूरा हो जाने पर वर्ष 1985-86 तक 68.55 लाख टन नाइट्रोजन और 15.30 लाख टन फास्फेट का उत्पादन होने लगेगा।

मलेरिया की रोकथाम

पी. फाल्सीपरम किस्म के मलेरिया की रोकथाम के कार्यक्रम का चार राज्यों के 31 जिलों में विस्तार किया जाएगा (इनमें गुजरात के 10 जिले, महाराष्ट्र और राजस्थान के आठ-आठ और मध्यप्रदेश के पांच जिले शामिल हैं)। ये जिले उन 55 जिलों के अलावा हैं जहां यह कार्य पहले ही चल रहा है।

पी. फाल्सीपरम मलेरिया की वह किस्म है जिसके कारण दिमाग को प्रभावित करने वाला मलेरिया भी हो सकता है। यदि उचित समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ऐसे रोगियों की मृत्यु भी हो सकती है।

इस कार्यक्रम का विस्तार उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां क्लोरोक्विन का असर कम होने की पुष्टि हो चुकी है और पी. फाल्सीपरम के रोगियों के प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है।

पेय जल के लिए अनुदान

भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को चालू वर्ष में दिए जाने वाले केन्द्रीय अनुदान की पहली किस्त दे दी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश—प्रत्येक को पहली किस्त के अंतर्गत एक करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और कर्नाटक को 62 लाख रुपये दिए गए हैं।

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम वर्ष 1972-73 में शुरू किया गया था। इसे आरम्भ करने का उद्देश्य उन गांवों को, जहां पीने का पानी नहीं था, पानी की सप्लाई जल्दी से करने के राज्य सरकारों के प्रयासों में तेजी लाना था। इस कार्यक्रम के लिए पांचवीं योजना में 100 करोड़ रुपये और छठी पंचवर्षीय योजना में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

ग्राम विकास कार्यक्रम

केन्द्रीय ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय ने समन्वित ग्राम विकास और राष्ट्रीय ग्राम रोजगार जैसे विशेष कार्यक्रमों की निरंतर निगरानी करने तथा सही ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए अपने छः वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया है। ये अपने-अपने क्षेत्र विशेष में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए होंगे। क्षेत्रीय अधिकारी राज्य विशेष में कार्यक्रमों की प्रगति पर नजर रखने के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के स्तर पर इन कार्यक्रमों में समन्वय लाने में सहयोग देंगे। ये अधिकारी सौंपे गए राज्यों की समन्वय समितियों की बैठकों में शामिल हुआ करेंगे और राज्यों का दौरा किया करेंगे। अपने दौरे और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने के पश्चात् वे कार्यक्रम की प्रगति तथा कार्यान्वयन पर मंत्रालय को रिपोर्ट पेश करेंगे।

कृषि विपणन की स्थापना

भारत सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस निगम का मुख्यालय गोहाटी में होगा। उत्तर-पूर्वी परिषद् ने इस निगम की स्थापना इस उद्देश्य से की है कि अधिकाधिक संभव बिक्री योग्य फल-सब्जियों को उचित निर्धारित मूल्य पर विभिन्न केन्द्रों से खरीदा जा सके। निगम फलों तथा सब्जियों के विपणन के लिए आवश्यक प्रबंध भी करेगा और रक्षा सेवाओं को ऐसी वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करेगा।

गेहूं का आयात

केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह ने अपने मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की सलाहकार समिति को बताया कि सरकार ने अमरीका से गेहूं और विश्व बाजार से 2 लाख टन चीनी आयात करने का निर्णय किया है। तदनुसार, वाशिंगटन में हमारे सप्लाई मिशन ने लगभग 15 लाख टन गेहूं खरीदने के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं। □

सीधी में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

मोती लाल सिंह

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा घोषित जनकल्याणकारी नीतियों के नुरूप मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अर्जुन संह ने प्रदेश की सर्वांगीण उन्नति के लिए हत्वाकांक्षी कार्यक्रम लागू करने की दिशा ं कारगर कदम उठाए हैं। प्रदेश के पिछड़े ौर गरीब क्षेत्रों को विकसित करने में ुख्यमंत्री ने विलक्षण सूझबूझ और दूरदर्शिता ा परिचय दिया है।

मध्य प्रदेश के उत्तरी-पूर्वी किनारे में गभग 10532 वर्ग किलोमीटर में फैला ुआ सीधी जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ै। इस जिले की मुख्य नदियां सोन, बनास ौर गोपद हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश में दगर्भित होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती ै, तदुपरान्त बिहार में गंगा से जा मिलती ै, इस नदी के पानी के उपयोग से मध्य देश, उत्तर प्रदेश व बिहार तीनों राज्यों के मझौते के उपरान्त बाण सागर-परियोजना ीवा जिले में निर्माणाधीन है।

सीधी जिले में तीन तहसील, गोपद, बनास, देवसर एवं सिंगरौली जिले के अन्तर्गत आठ ब्लाक सीधी, सिंहावल, कुसमी, देवसर, रामपुर, मझौली, चितरंगी एवं बैढ़न है। जिले में कृषि योग्य भूमि का रकबा 3,25,000 हेक्टेयर है, अभी तक 45 सिंचाई योजनाओं का निर्माण हो चुका है, जिसकी सिंचाई क्षमता 11,298 हेक्टेयर है, तदनुसार जिले का सिंचाई प्रतिशत 3.48 है। इस समय जिले में 32 सिंचाई योजनाएं निर्माणाधिन हैं, जिनके पूर्ण होने पर 21,702 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी तथा सिंचाई प्रतिशत बढ़कर 10.15 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बाणसागर योजना के पूर्ण होने के बाद जिले की 26,001 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। एवं सिंचाई प्रतिशत बढ़ाकर 18.15 हो जावेगा। जिले में 24 सर्वेक्षणाधीन योजनाएं हैं, एवं 185 योजनाएं चिन्हित की गई हैं। जिनके पूर्ण होने के पश्चात् 1,10,723 हेक्टेयर जिले की अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर जिले की कुल सिंचाई प्रतिशत 52.22 हो जाएगी।

सिंचित कृषि ही अतिरिक्त अनाज उत्पादन का एक आधुनिक विधि है। देश की बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप अनाज का उत्पादन बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। कृषि योग्य भूमि की सीमा निश्चित है। अतिरिक्त अनाज सिंचित कृषि से ही सम्भव है। इस उद्देश्य की आंशिक पूर्ति हेतु ही सीधी जिले के मझौली ब्लाक में सेहरा सिंचाई योजना का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री श्री अर्जुनसिंह के कर-कमलों द्वारा दिनांक 22 मई, 1981 को सम्पन्न हुआ।

मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के सद्प्रयासो से सीधी जिले के शक्तिस्त्रोतों का दोहन प्रारम्भ हुआ। प्रदेश के नागरिकों को विश्वास है कि इस पिछड़े जिले के प्रकाश स्तंभ सम्पूर्ण देश को आलोकित करते रहेंगे।

लघुकथा

होनहार

※※※ ममता जैन

'देखो जी, हमारे पास देने को कुछ नहीं है बस केवल लड़की है।'' इस पर ड़के का पिता बोला—''अजी हमें और ा चाहिए। आपने लड़की दे दी, यही क्या म है?''

लड़की वालों में से एक ने स्पष्ट किया—'यों तो शादी में हर आदमी अपनी इज्जत के लए काफी कुछ खर्च करता है फिर भी ष्ट करना जरूरी है।''

लड़के की मां बाहर खड़ी-खड़ी ये बातें ुन रही थी। उसने पर्दा हटाकर धीरे से ारा किया तो लड़के का पिता उठ लिया। सी बीच लड़की वालों ने जान लिया कि ड़का किसी छोटे से अखबार में रिपोर्टर था। अखबार मांगने पर उसने कोई पुराना अंक दिखा दिया था।

जब लड़के का पिता अन्दर आया तो लड़की वालों की तरफ से एक बुजुर्ग बोला—''तो फिर हम पक्की समझें?'' लड़के का पिता बोला—''हमारी तरफ से तो बात पक्की है, पर लड़के की भी तो हां चाहिए। अभी पिछली बार एक फैक्टरी का मालिक आया था। वह लड़के को घर जवाई बनाना चाहता था। इसलिए हमने नामंजूर कर दिया। पूरे एक लाख शादी में लगा रहा था। हां—ये तो बताइये आपकी लड़की कितनी पढ़ी-लिखी है?''

इस पर लड़की के पक्ष वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीच वाले व्यक्ति ने बात सम्हालते हुए कहा—''देखो जी, हमारे यहां लड़की को ज्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता। लड़की सुशील है, गृह कार्य में दक्ष है। चाहें तो आप छानबीन करा लें।''

लड़का इस तरह की बातों से पहले भी कई बार परेशान हो चुका था। वह जान गया था कि उसका पिता दहेज की बाबत कुछ कहना चाहता है। इस बार भी बात तय नहीं होगी और इन लोगों के चले जाने पर मां कहेंगी—''पता नहीं कैसे-कैसे लोग चले आते हैं। जाहिल गंवार लड़की को मेरे होनहार लड़के के पल्ले बांध रहे थे—हूं।''

—सी-48/2बी, चौहान बांगर,
सीलमपुर, दिल्ली-110053

निदेशक, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित, 1981

RN 08/
P & T Regd. No. D(DN)
Licensed Under U(D) 55
Post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Del

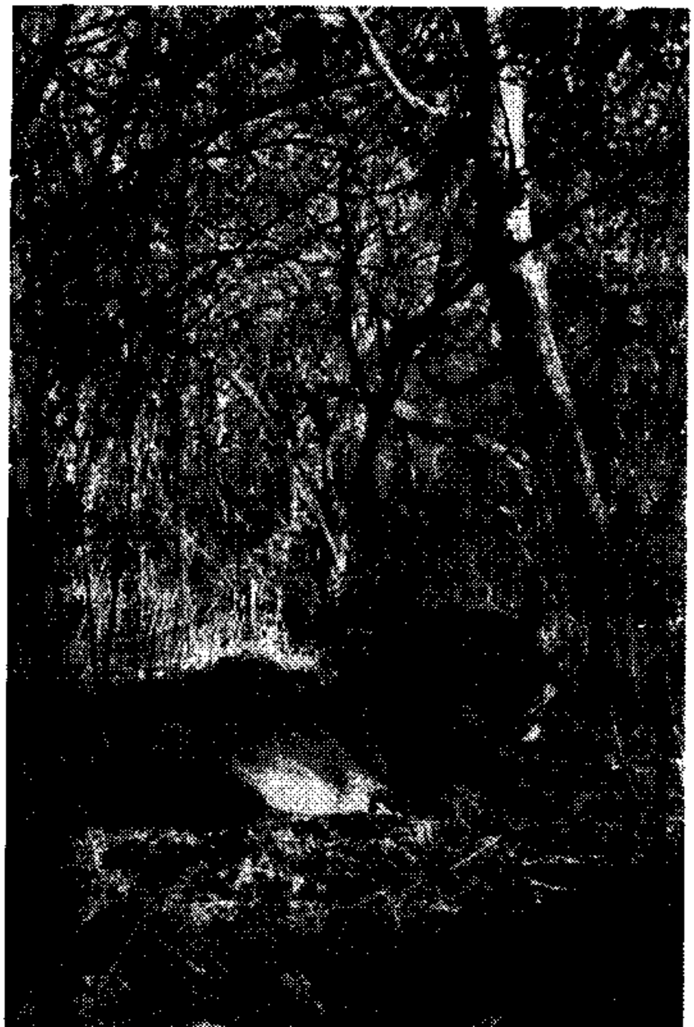

सदियों से है वृक्ष हमारे अच्छे प्यारे साथी

वन वृक्षों की कटाई से न सिर्फ पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है बल्कि वन्य जन्तुओं की सुरक्षा की समस्या भी पैदा हो गई है । प्राणीमात्र की रक्षा करना हमारे धर्म शास्त्र का सार तत्व है । यह खुशी की बात है कि वृक्षों की कटाई से होने वाले विनाश के प्रति अब हम सजग हैं ।